सत्यमेव जयते

वित्त लेखे (खण्ड-I)
2019-20

लोकहितार्थसत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

हरियाणा सरकार

वित्त लेखे (खण्ड I)

2019-20

हरियाणा सरकार

विषय सारणी

	विषय	पृष्ठ
	खण्ड-I	
•	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	(iii) – (x)
•	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	(xi-xvi)
1	वित्तीय स्थिति की विवरणी	2-3
2	प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी	4-9
3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)	10-12
4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि)	13-19
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी	20-25
6	उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी	26-29
7	सरकार द्वारा दिये गये कर्जों तथा अग्रिमों की विवरणी	30-32
8	सरकार के निवेशों की विवरणी	33
9	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विवरणी	34
10	राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी	35-36
11	प्रभारित और दत्तमत व्यय की विवरणी	37
12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के उपयोग की विवरणी	38-40
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक-लेखे के अर्न्तगत शेषों का सारांश	41-44
•	लेखाओं पर टिप्पणियाँ	45-70
	खण्ड-II	
	भाग-I	
14	लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी	73-104
15	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी	105-161
16	लघु शीर्ष तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी	162-205
17	उधारों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी	206-227
18	सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों की विस्तृत विवरणी	228-258
19	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी	259-281
20	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विस्तृत विवरणी	282-285
21	आकस्मिकता निधि तथा लोक-लेखे के अन्य लेने-देनों की विस्तृत विवरणी	286-298
22	पृथक रक्षित शेषों के निवेश पर विस्तृत विवरणी	299-306

विषय सारणी

	विषय	पृष्ठ
	खण्ड-II	
	भाग-II : परिशिष्ट	
I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	309-318
II	आर्थिक सहायता पर तुलनात्मक व्यय	319-324
III	राज्य सरकार द्वारा सहायतानुदान/सहायता (संस्था तथा योजना अनुसार)	325-350
IV	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण	351-352
V	योजनाओं पर व्यय क- केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं एवं केन्द्रीय योजनाएं) ख- राज्य योजनाएं	353-359
VI	राज्य में कार्यान्वित संस्थाओं को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तान्तरण (राज्य बजट से बाहर निधियों का हस्तान्तरण) (लेखा परीक्षा रहित आंकड़े)	360-361
VII	शेषों की स्वीकार्यता एवं मिलान	362-370
VIII	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	371-374
IX	सरकार की वचनबद्धताएं - अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची	375-400
X	वेतनगत व वेतनेत्तर मदों पर पृथक करण सहित रख-रखाव पर व्यय	401-405
XI	वर्ष के दौरान वृहद नितिगत निर्णय अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं	406
XII	सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं	407-411
XIII	राज्यों का पुनर्गठन- मदें जहां राज्यों में शेषों के आवंटन को अन्तिम रूप नही दिया गया	412

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के वित्त लेखे समाहित हैं जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इन लेखाओं को दो खण्डों में प्रस्तुत किया गया है, खण्ड-। में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति समाविष्ट है और खण्ड-।। लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाता है। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन के विवरणों (8, 9, 19 एवं 20), व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विवरणी संख्या 14, 15 तथा 20) और परिशिष्टों (IV, VIII, IX, X, XI, XII एवं XIII) को हरियाणा सरकार/निगमों/कम्पनियों/समुदायों से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है, जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। परिशिष्ट-VI महालेखानियंत्रक के सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली पोर्टल से लिए गए विवरणों से तैयार किया गया है।

हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाऐं हैं, जिनका

अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ यह प्रमाणित करता हूँ कि लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पठित वित्त लेखे 2019-20 वर्ष के लिए हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षो के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उदभूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले हरियाणा सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

मामले का महत्व

मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो इन लेखों की सटीकता, पारदर्शिता और पूर्णता के दृष्टिकोण से तथा सार्वजनिक वित्त पर विधायी वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं :

1. वर्ष 2019-20 के दौरान, 24 विभागों द्वारा प्रदान की गई सहायता अनुदान के मुकाबले राज्य के निकायों और प्राधिकारियों द्वारा ₹ 4,561.30 करोड़ की राशि के 633 देय उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2020 तक, 2018-19 तक के ₹ 6,036.28 करोड़ राशि के 1,371 यू.सी. बकाया थे। इस प्रकार, 31 मार्च 2020 तक, ₹ 10,597.58 करोड़ की राशि के कुल 2,004 यू.सी. प्रस्तुत करने बाकी थे। अतः इस बारे में कोई आश्वासन नहीं है कि विधानमंडल द्वारा संस्वीकृत/प्राधिकृत ₹ 10,597.58 करोड़ की राशि वास्तव में उसी प्रयोजन के लिए खर्च की गई है

जिसके लिए इसकी मंजूरी दी गई थी। यू.सी. की अत्याधिक लंबितता से सार्वजनिक धन के दुरूपयोग, धोखाधड़ी तथा गबन का जोखिम बना रहता है।

2. राज्य में 31 मार्च 2020 को, ₹ 610.89 करोड़ के अधिशेष के साथ, 154 व्यक्तिगत जमा खाते थे। इसमें से ₹ 311.72 करोड़ की राशि (51.03 *प्रतिशत*)दो विभागों (शहरी विकास विभाग-मुख्य शीर्ष 2217 एवं स्वास्थ्य विभाग-मुख्य शीर्ष 4210) द्वारा समेकित निधि से खोले गए दो व्यक्तिगत जमा खातों से संबंधित थे। इसे वित्तीय वर्ष के अंत में बंद करके अव्ययित शेषों को समेकित निधि में हस्तांतरित किया जाना था। पी.डी. खातों में पड़ी हुई राशियाँ उसी हद तक अधिक व्यय दर्शा रहीं थी। इसके अतिरिक्त पी.डी. प्रशासकों ने अपने शेषों का मिलान कोषागार के आंकड़ों के साथ नहीं किया था। व्यक्तिगत जमा खातों का समय-समय पर मिलान न करना और व्यक्तिगत जमा खातों में पड़े शेषों को समेकित निधि में हस्तांतरित न करना सार्वजनिक धन के दुरूपयोग, धोखाधड़ी तथा गबन के जोखिम को बढ़ाता है।

3. 31 मार्च 2020 तक, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डी.सी.पी.एस.) के तहत कुल कर्मचारी अंशदान के ₹ 717.91 करोड़ के मुकाबले, राज्य सरकार ने केवल ₹ 694.20 करोड़ का अंशदान दिया। इस प्रकार, राज्य सरकार ने अपने सांविधिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया क्योंकि वह डी.सी.पी.एस. के तहत सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 23.71 करोड़ का समरूप अंशदान करने में विफल रही। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 के दौरान डी.सी.पी.एस. के तहत राज्य सरकार ने डी.सी.पी.एस. प्रावधानों के अनुसार आगे निवेश हेतु नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) को ₹ 4.33 करोड़ कम हस्तांतरित किए जिसके चलते ₹ 32.89 करोड़ की राशि शेष है। इस प्रकार, एन.एस.डी.एल. को ₹ 56.60 करोड़ (₹ 23.71 करोड़ का कम अंशदान तथा ₹ 32.89 करोड़ हस्तांतरित न करना) की राशि कम हस्तांतरित की गई तथा वर्तमान देयता को आगामी वर्ष/वर्षों के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही राज्य सरकार ने एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित नहीं की गई इस राशि पर ब्याज की देयता बनाई; अपने कर्मचारियों से संबंधित निधियों का गलत तरीके से उपयोग किया और भविष्य में कर्मचारियों को देय लाभों के बारे में सरकार की परिहार्य वित्तीय देयता के संबंध में अनिश्चितता पैदा की जो कि योजना की संभावित विफलता का कारण बनी।

उपरोक्त मुद्दों पर लेखापरीक्षा अवलोकन, वर्ष 2019-20 के लिए हरियाणा सरकार की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विस्तृत रूप में दिया गया है।

दिनांक: 03 फरवरी 2021
स्थान: नई दिल्ली

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

वित्त लेखों की मार्गदर्शिका

क. शासकीय लेखों की संरचना का विस्तृत अवलोकन

1. हरियाणा राज्य के वित्त लेखे, वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों, राजस्व एवं पूँजीगत लेखों के वित्तीय परिणामों सहित, लोक- ऋण तथा लेखों में दर्ज शेषों से तैयार की गई देनदारियों तथा परिसम्पत्तियों को दर्शाते हैं ।

2. शासकीय लेखे तीन भागों में रखे जाते हैः

भाग-I: समेकित निधिः इस निधि में, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी ऋण् (बाजार ऋण, ऋणपत्र, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अर्थोपाय अग्रिम एवं ऋणों की वापसी के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं । इस निधि से भारत के संविधान में निहित विधि एवं उद्देश्य के अतिरिक्त कोई धन आहरित नहीं किया जा सकता । कुछ श्रेणी के व्यय (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋणों की पुर्नादायगी इत्यादि) राज्य सरकार की समेकित निधि पर भारित (भारित व्यय) होते हैं एवं विधान मण्डल के अनुमोदन के विषय नहीं हैं । अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधान मण्डल द्वारा पारित होते हैं।

समेकित निधि में दो भाग होते हैं- राजस्व एवं पूँजीगत (लोकऋण, कर्ज एवं अग्रिम सहित) । इन्हें आगे, प्राप्ति एवं व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्ति भाग, तीन खण्डों में बॉटा गया है, कर राजस्व, करेतर राजस्व एवं सहायतानुदान तथा अंशदान । इन तीन खण्डों को आगे उप-खण्डों में बांटा गया है जैसे - वस्तु एवं सेवा कर, आय तथा व्यय पर कर, राजकोषीय सेवाएँ इत्यादि। पूँजीगत प्राप्तियॉ- भाग में कोई खण्ड अथवा उप-खण्ड नहीं होते हैं । राजस्व व्यय भाग को चार खण्डों जैसे- सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सहायतानुदान तथा अंशदान में बांटा गया हैं । राजस्व व्यय भाग में इन खण्डों को आगे उप खण्डों जैसे- राज्य के अंग, शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति में विभाजित किया गया है । पूँजीगत व्यय भाग आगे सात खण्डों जैसे सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ, लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम , अर्न्तराज्यीय समायोजन तथा आकस्मिकता निधि को अन्तरण में विभाजित है ।

भाग-II : आकस्मिकता निधि : यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो कि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधान मण्डल के अनुमोदन के लम्बित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है । इस निधि को राज्य सरकार की समेकित निधि में , संबंधित मुख्य शीर्ष को डेबिट देकर प्रतिपूर्ति किया जाता है। हरियाणा सरकार की वर्ष 2019-20 की आकस्मिक निधि ₹ 2,00 करोड़ है ।

भाग-III: लोक लेखाः प्राप्त अन्य सभी लोक धन जो कि सरकार द्वारा अथवा सरकार के पक्ष में प्राप्त होता है, जहॉ सरकार एक बैंकर अथवा न्यासी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा किए जाते हैं। लोक लेखा में, लघु बचत एवं भविष्य निधियॉ, आरक्षित निधियॉ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, उचन्त तथा प्रेषण शीर्ष (जो कि दोनों, अंतिम निपटान के लम्बित रहते हस्तान्तरण शीर्ष हैं) जैसे वापसी योग्य सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध रोकड़ शेष भी लोक लेखा में सम्मिलित होता है। लोक-लेखा में छः खण्ड जैसेः 'लघु बचते, भविष्य निधियॉ इत्यादि,' 'आरक्षित निधियॉ,' 'जमा तथा अग्रिम,' 'उचन्त तथा विविध', 'प्रेषण' तथा 'रोकड शेष' सम्मिलित हैं ये खण्ड आगे उप खण्डों में विभाजित है । लोक लेखा, विधान मण्डल के वोट का विषय नहीं है ।

3. शासकीय लेखे, छःस्तरीय वर्गीकरण जैसेः मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप मुख्य शीर्ष (दो अंक) लघु शीर्ष (तीन अंक) उप शीर्ष (दो अंक), विस्तृत शीर्ष (दो अंक) एवं उद्धेश्य शीर्ष (दो अंक) में प्रप्तुत किए जाते हैं । मुख्य शीर्ष, सरकार के कार्य को प्रदर्शित करते हैं, उप-मुख्य शीर्ष, उप कार्य को प्रदर्शित करते हैं, लघु शीर्ष कार्यक्रम/ क्रिया कलाप को प्रदर्शित करते है, उप शीर्ष योजनाओं को प्रदर्शित करते है, विस्तृत शीर्ष उप योजनाओं को प्रदर्शित करते हैं एवं उद्धेश्य शीर्ष, व्यय के उद्धेश्य को प्रदर्शित करते हैं ।

4. लेखाओं में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित वर्गीकरण संरचना निहित है (मुख्य शीर्ष एवं लघु शीर्ष की 31 मार्च 2020 तक अद्यतित सूची अनुसार)

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियॉ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूंजीगत प्राप्तियॉ
4046 से 7810	पूंजीगत व्यय (लोकऋण, तथा अग्रिम सहित)
7999	आकस्मिकता निधि को विनियोजन
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. वित्त लेखे, सामान्यतः (कुछ अपवादों को छोडकर) लघु शीर्ष स्तर तक लेनदेन को दर्शाते हैं। वित्त लेखों में आंकड़े निवल रूप में, अर्थात वसूली को व्यय में से कटौती करते हुए दिखाए जाते है। यह विधि, विधान मण्डल को प्रस्तुत माँगों एवं विनियोग लेखों में प्रस्तुत निधि से अलग है जहॉ व्यय को सकल रूप में दिखाया जाता है ।

6. लेखाओं की संरचना का चित्रमय स्वरूप निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः

शासकीय लेखों की संरचना

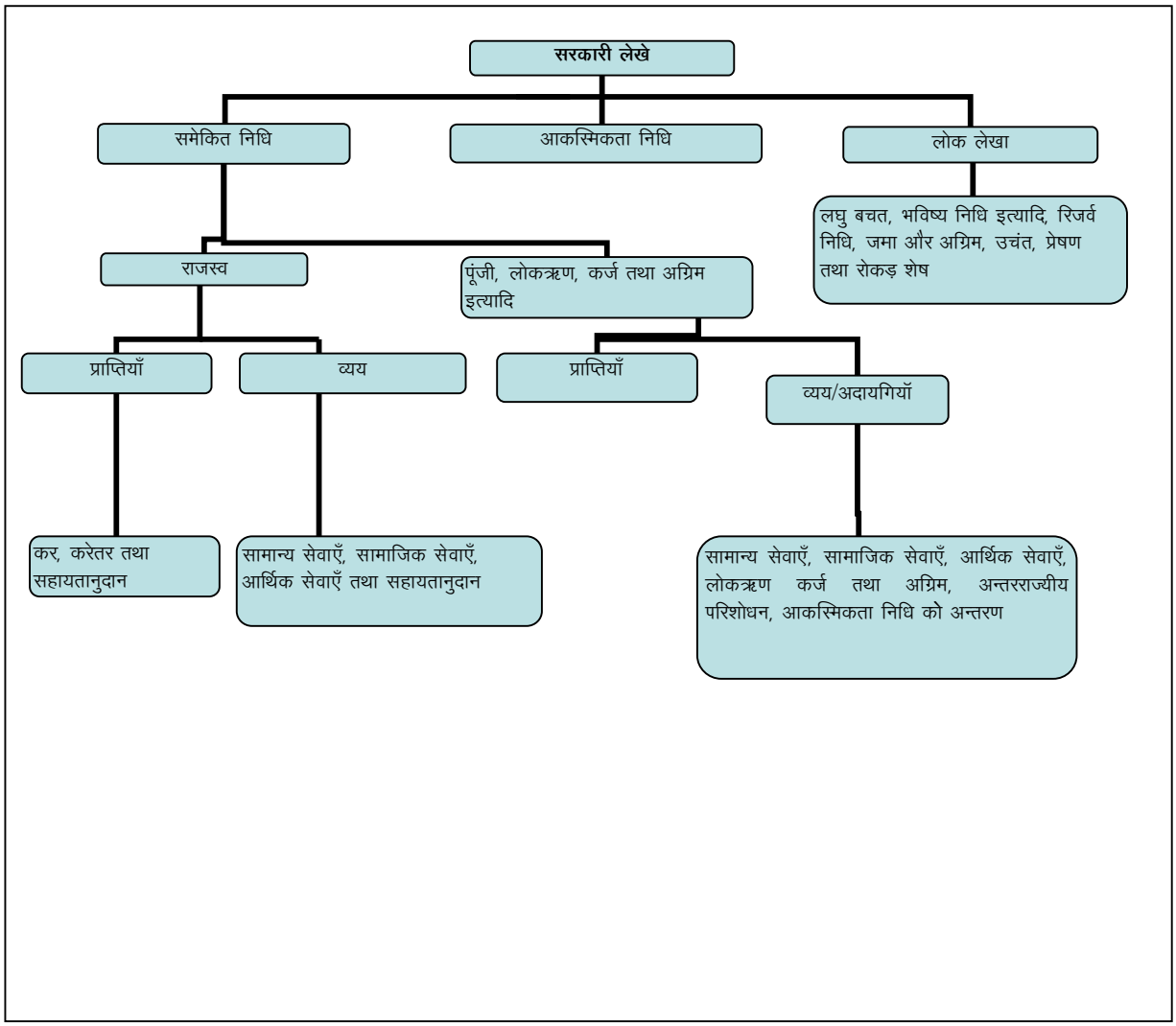

ख. वित्त लेखों में समाहित है

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किए जाते हैं।

खण्ड-I में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, वित्त लेखों की मार्ग दर्शिका, 13 विवरणियां जो कि चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति एवं लेन-देनों की संक्षेप जानकारी देती हैं, लेखों पर टिप्पणियां एवं लेखों पर टिप्पणियों के अनुबंध सम्मिलित है।

खण्ड- I की 13 विवरणियों का वर्णन निम्न प्रकार है-

1. **वित्तीय स्थिति की विवरणी:** यह विवरणी, राज्य सरकार की परिसम्मपत्तियों एवं दायित्वों के वर्ष के अन्त तक के संचयात्मक आकड़ों, को पूर्व वर्ष के अन्त तक की स्थिति से तुलनात्मक रूप में दिखाती है।

2. **प्राप्तियों और संवितरणों की विवरणी:** यह विवरणी शासकीय लेखों के सभी तीन भागों: समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक-लेखा में वर्ष के दौरान राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, इसमें सरकार के रोकड शेष (निवेश सहित) को दर्शाने वाला एक अनुबंध सम्मिलित है । यह अनुबंध, सरकार की अर्थोपयाय की विस्तृत स्थिति प्रस्तुत करता है।

3. **प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि):** यह विवरणी राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों, उधारियों तथा सरकार द्वारा प्रदत् ऋण एवं अग्रिमों की वसूली को दर्शाती है । यह विवरणी, वित्त लेखे के खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 14,17 एवं 18 की समरूपी है ।

4. **व्यय की विवरणी (समेकित निधि):** वित्त लेखों के लघु शीर्ष स्तर पर दर्शाने के सामान्य व्यवहार के अपदान स्वरूप, यह विवरणी व्यय को उसकी प्रकृति अनुसार (व्यय के उद्देश्य) भी विवरण प्रस्तुत करती है। यह विवरणी खण्ड-II की विवरणी -15,16,17 एवं 18 की समरूपी है।

5. **प्रगामी पूँजीगत व्यय की विवरणी:** यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी 16 की समरूपी है।

6. **उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी:** सरकार के उधारों में, उसके द्वारा लिए गए बाजार कर्जे (आन्तरिक ऋण) एवं भारत सरकार से लिए गए ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। अन्य दायित्वों में, 'लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि', आरक्षित निधियॉ एवं जमा सम्मिलित हैं। इस विवरणी में ऋण के उपयोग पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित है एवं यह खण्ड-II में विस्तृत विवरणी 17 की समरूपी है।

7. **सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी:** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के ऋणियों जैसे- संवैद्यानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत एवं अन्य निकायों/प्राधिकारी एवं वैयक्तिकों (सरकारी कर्मचारियों सहित) को प्रदत सभी ऋण एवं अग्रिमों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 18 की समरूपी है ।

8. **सरकार के निवेशों की विवरणी:** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा संवैद्यानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में निवेशों को दर्शाती है । यह विवरणी खण्ड-II में विस्तृत विवरणी 19 की समरूपी है।

9. **सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विवरणी:** यह विवरणी, राज्य सरकार द्वारा वैद्यानिक निगमों, सरकारी कम्पिनयों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों एवं उन पर ब्याज की वापसी के लिए दी गई गारंटियों का सार प्रस्तुत करती है। यह विवरणी खण्ड-II में विस्तृत विवरणी 20 की समरूपी है।

10. **राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी:** यह विवरणी सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के अनुदेयियों जैसे संवैद्यानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों स्वायत एवं अन्य निकायों/ प्राधिकारियों एवं वैयक्तिकों को प्रदत सभी सहायतानुदानों को दर्शाती है । प्राप्तकर्ता संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-III में समाहित है ।

11. भारित एवं दत्तमत व्यय की विवरणीः यह विवरणी वित्त लेखों में दर्ज निवल आंकडों एवं विनियोग लेखों में दर्ज सकल आंकड़ों के मेल में सहायक है ।

12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के उपयोग की विवरणीः यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाना चाहिए जबकि वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय, राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के शुरूआत में नगद शेष एवं उधारों से पूरा किया जाना चाहिए।

13. समेकित निधि,आकस्मिक निधि एवं लोक लेखे के अंतर्गत शेषों का सारांशः यह विवरणी लेखों के मिलान की सत्यता मापने में सहायक है। यह विवरणी खण्ड ।। में विस्तृत विवरणी 14, 15, 16, 17, 18 एवं 21 की समरूपी है ।

वित्त लेखे के खण्ड-।। के दो भाग हैं, भाग -। में नौ विस्तृत विवरणियॉ एवं भाग-।। में तेरह परिशिष्ट सम्मिलित हैं।

खण्ड-।। का भाग-।

14. लघु शीर्षवार राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणीः यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड -। में सार विवरणी-3 की समरूपी हैं ।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणीः यह विवरणी जो कि खण्ड -। में सार विवरणी 4 की समरूपी है, राज्य सरकार के राज्य निधि व्यय और केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं तथा केन्द्रीय योजनाओं सहित) दर्शाती है। भारित तथा दत्तमत व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं।

16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणीः यह विवरणी जो कि खण्ड । में सार विवरणी 5 की समरूपी है, राज्य सरकार के राज्य निधि व्यय, केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं तथा केन्द्रीय योजनाओं सहित) के अंतर्गत पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान एवं संचयात्मक) को दर्शाती है । भारित तथा दत्तमत व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं। महत्वपूर्ण योजनाओं में, पूंजीगत व्यय का विवरण लघु शीर्ष स्तर तक दिखाए जाने के अतिरिक्त इस विवरणी में उपशीर्ष स्तर तक विवरण दिखाया जाता हैं।

17. उधारों एवं अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणीः यह विवरणी जो कि खण्ड । में सार विवरणी 6 की समरूपी है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार कर्जे, ऋण-पत्र, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचते निधि इत्यादि को जारी विशेष प्रतिभूतियां) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत अर्थोपयाय पेशगियों को दर्शाती हैं। यह विवरणी, ऋणों पर तीन श्रेणियों- (क) प्रत्येक ऋण का ब्यौरा (ख) परिपक्वता रूप-रेखा अर्थात प्रत्येक श्रेणी की विभिन्न वर्षो में देय राशी एवं (ग) बकाया ऋण पर ब्याज दर की रूप-रेखा तथा बाजार कर्जे पर अनुलग्नक में सूचना प्रस्तुत करती हैं।

18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणीः यह विवरणी, खण्ड । में सार विवरणी 7 की समरूपी है।

19. सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणीः यह विवरणी संस्था अनुसार निवेशों एवं विवरणी 16 तथा 19 में मुख्य एवं लघु शीर्षवार विसंगितयों को दर्शाती है । यह विवरणी खण्ड । में विवरणी 8 की समरूपी है ।

20. सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विस्तृत विवरणीः यह विवरणी, सरकार की गारंटियों का संस्था अनुसार विवरण प्रस्तुत करती है। यह विवरणी खण्ड । में विवरणी 9 की समरूपी है ।

21. आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे के अन्य लेन-देनों की विस्तृत विवरणीः यह विवरणी, आकस्मिकता निधि में असमायोजित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अन्त में लम्बित शेषों का लघु शीर्षवार विवरण दर्शाती है ।

22. पृथक रक्षित शेषों के निवेश पर विस्तृत विवरणीः यह विवरणी आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से किए गए निवेशों का विवरण दर्शाती है ।

खण्ड-II का भाग II

भाग-II में विभिन्न मदों, वेतन, आर्थिक सहायता, सहायतानुदान, बाहय सहायता प्राप्त परियोजनाएँ, मुख्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं एवं राज्य योजनाएं इत्यादि पर योजनावार व्यय, 13 परिशिष्ट सम्मिलित हैं । ये विवरण, लेखों में उप शीर्ष अथवा उसके निचले स्तर (लघु शीर्ष के नीचे)पर उपलब्ध है तथा इसलिए सामान्यतः वित्त लेखों में नहीं दर्शाए जाते हैं । परिशिष्टों की विस्तृत सूची खण्ड । अथवा ।। की विषय सारणी में उपलब्ध है । परिशिष्टों के साथ विवरणियों का पठन, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है ।

ग. शीघ्र गणकः

निम्न भाग, खण्ड-। में दर्ज सार विवरणियों को खण्ड ।। में दर्ज विस्तृत विवरणियों एवं परिशिष्टों से जोडता है (परिशिष्ट जो सार विवरणियों से सीधे तौर पर संबधित नहीं है नीचे नहीं दर्शाए गए हैं)।

मानक	**सार विवरणियां (खण्ड ।)**	**विस्तृत विवरणियां (खण्ड ।।)**	**परिशिष्ट**
राजस्व प्राप्तियॉ (प्राप्त अनुदान सहित), पूंजीगत प्राप्तियां	2,3	14	
राजस्व व्यय	2,4	15	I (वेतन) II (आर्थिक सहायता)
सरकार द्वारा प्रदत्त सहायतानुदान	2,10	--	III (सहायतानुदान/सहायता)
पूंजीगत व्यय	1,2,4,5,12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण तथा अग्रिम	1,2,7	18	
ऋण स्थिति एवं उधारियां	1,2,6	17	
कंपनी, निगमों में सरकार द्वारा किए गए निवेश	8	19	
रोकड़	1,2,12,13		
लोक लेखा में शेष एवं उनका निवेश	1,2,12,13	21,22	
गारंटियां	9	20	
योजनाएं			IV(बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं), V (योजनाओं पर व्यय)

घ. आवधिक समायोजन तथा पुस्तकीय समायोजनः लेखों में दर्ज कुछ लेन-देन, उनके दर्ज करने के समय वास्तविक रोकड प्रवाह से संबंध नहीं रखते हैं। इनमें से कुछ लेन-देन लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाईयों जैसेः कोषालय, मण्डल इत्यादि के स्तर पर घटित होते हैं। उदाहरणतः वेतन से सभी प्रकार की कटौतियॉ (सामान्य भविष्य निधि , दिए गए अग्रिमों की वसूली इत्यादि) सेवा मुख्य शीर्ष (संबंधित विभाग से संबंधित) को नामे करते हुए राजस्व प्राप्ति /ऋण/लोक लेखा को पुस्तकीय समायोजन द्वारा दर्ज की जाती हैं। इसी प्रकार शून्य बिल, जहॉ समेकित निधि एवं लोक लेखा के मध्य धन हस्तान्तरण, लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाईयों के स्तर पर बिना रोकड हस्तान्तरण का लेन-देन के हो।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राज्य सरकार के लेखों में निम्नलिखित प्रकृति के आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन जिनका विवरण खण्ड । में लेखों पर टिप्पणियों के अनुबन्ध एवं संबंधित विवरणियों के नीचे टिप्पणियों के रूप में वर्णित है, करते हैं। आवधिक समायोजनों तथा पुस्तकीय समायोजनों के उदाहरण निम्न प्रकार हैं -

(1) समेकित निधि को नामे करते हुए निधियों का निर्माण/ लोक लेखा में निधियों को अंशदान का समायोजन जैसे राज्य आपदा राहत निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, आरक्षित निधियां, निक्षेप निधि इत्यादि।

(2) समेकित निधि को नामे करते हुए लोक लेखा में जमा शीर्ष को जमा करना।

(3) समान्य भविष्य निधि (जी0पी0एफ0) एवं राज्य सरकार समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन जहॉ ब्याज का समायोजन मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज अदायगी को नामे एवं मुख्य शीर्ष 8009-भविष्य निधि तथा 8011 बीमा और पैंशन निधि को क्रमशः जमा करते हुए किया जाता है ।

(4) भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर ऋण माफी का समायोजन । ये समायोजन (जहॉ केन्द्रीय ऋण मुख्य शीर्ष "0075-विविध सामान्य सेवाएँ," को जमा तथा मुख्य शीर्ष "6004- केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम " को कांट्रा प्रविष्टि के जरिए माफ किए जाते हैं) राजस्व प्राप्तियों एवं लोक ऋण दोनों शीर्षो को प्रभावित करते हैं।

ड़. राऊंडिंगः

₹ 0.01 लाख/करोड़ का अन्तर, जहॉ भी हो, राऊंडिंग के कारण है ।

संक्षेप विवरणियां

1. वित्तीय स्थिति की विवरणी

(₹ करोड़ में)

सम्पतियाँ*	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
	लेखे पर टिप्पणियां	विवरणी		
रोकड़			**39,99.47**	**29,85.55**
(i) खजानों तथा स्थानीय प्रेषण में रोकड़		21	0.54	0.54
(ii) विभागीय शेष		21	2.83	3.79
(iii) स्थायी अग्रदाय		21	0.12	0.12
(iv)रोकड़ शेष का निवेश		21	23,32.87	7,21.57
(v) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा		21	(-)16,44.93	(-)7,95.10
(vi) पृथक रक्षित निधियों से निवेश		22	33,08.04	30,54.63
पूंजीगत व्यय		16	**11,22,28.40**	**9,46,16.48**
(i) कम्पनियों निगमों के शेयरों में निवेश		19	3,69,22.92	3,07,47.91
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय		16	7,53,05.48	6,38,68.57
आकस्मिकता निधि (अनापूर्ति)			..	..
कर्ज तथा उधार	3(ii)	18	**73,90.30**	**1,14,73.68**
विभागीय अधिकारियों के अग्रिम		21	**0.74**	**0.74**
उचन्त और विविध शेष (1)	3(vii)	21	**70.49**	**57.23**
प्रेषण शेष		21	..	..
प्राप्तियों पर व्यय की संचयात्मक अधिक्ता (2)		12	**9,56,54.00**	**7,86,63.92**
जोड़			**21,93,43.40**	**18,77,97.60**

* सम्पत्तियों और दायित्वों के आंकड़े संचयात्मक आंकड़े है । कृपया लेखों पर टिप्पणियाँ में नोट 1(ii) देंखें ।

(1) इस विवरणी में पंक्ति मद उचन्त और विविध शेष में रोकड़ शेष निवेश लेखा नहीं जोड़ी गई है, जिसे उपर अलग से शामिल किया गया है यद्यपि बाद वाला भाग इन लेखों में अन्य स्थानों पर इस क्षेत्र का भाग है ।

(2) खर्च से अधिक प्राप्तियॉ अथवा प्राप्तियों से अधिक खर्च राजकोषीय/राजस्व घाटे से भिन्न है तथा चालू वर्ष के लिए राजकोषीय/राजस्व घाटा नहीं है ।

1. वित्तीय स्थिति की विवरणी- समाप्त

(₹ करोड़ में)

दायित्व	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
	लेखे पर टिप्पणियां	विवरणी		
उधार (सार्वजनिक ऋण)				
(i) आंतरिक ऋण		17	**18,37,85.60**	**15,49,67.80**
(ii) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		17	**17,05.45**	**18,66.94**
योजनेत्तर ऋण			38.64	40.25
राज्य सरकार योजनाओं के लिए ऋण			12,98.58	15,60.85
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण			..	..
अन्य ऋण			3,68.23	2,65.84
आकस्मिकता निधि (शेष)		21	**2,00.00**	**2,00.00**
लोक लेखे पर दायित्व		21		
(i) लघु बचत भविष्य निधि आदि			**1,69,62.46**	**1,57,15.23**
(ii) जमा			**79,21.80**	**84,04.55**
(iii) आरक्षित निधियां			**84,94.35**	**63,15.60**
(iv) उचन्त तथा विविध शेष			**..**	**..**
(v) प्रेषण शेष		21	**2,73.74**	**3,27.48**
प्राप्तियों से व्यय की संचयात्मक अधिक्ता			..	..
जोड़			**21,93,43.40**	**18,77,97.60**

2. प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

	प्राप्तियाँ			संवितरण	
	2019-20	2018-19		2019-20	2018-19
भाग-I समेकित निधि					
अनुभाग-क- राजस्व					
राजस्व प्राप्तियाँ (संदर्भ: वि. 3 व 14)	**6,78,58.13**	**6,58,85.12**	**राजस्व व्यय** (संदर्भ: व. 4-क, 4-ख व 15)	**8,48,48.21**	**7,71,55.54**
कर राजस्व (राज्य द्वारा एकत्रित) (संदर्भ: वि. 3 व 14)	**4,28,24.95**	**4,25,81.34**	**वेतन(1)** (संदर्भ: वि. 4-ख व परिशिष्ट I)	**2,17,21.45**	**1,94,11.50**
करेतर राजस्व (संदर्भ: वि. 3 व 14)	**73,99.74**	**79,75.64**	**आर्थिक सहायता(1)** (संदर्भ: वि. 4-ख व परिशिष्ट II)	**81,05.18**	**85,49.07**
			सहायतानुदान(2) (संदर्भ:: वि. 4-ख, 10 व परिशिष्ट III)	**1,13,37.35**	**1,00,77.83**
ब्याज प्राप्तियाँ (संदर्भ: वि. 3 व 14)	19,74.86	19,53.84	**सामान्य सेवाएं** (संदर्भ: वि. 4 व 15)	**2,62,84.23**	**2,30,54.98**
अन्य (संदर्भ: वि. 3)	54,24.88	60,21.80	ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन (संदर्भ: वि. 4-क, 4-ख व 15)	1,55,88.01	1,35,51.46
कुल (संदर्भ: वि. 3 व 14)	**73,99.74**	**79,75.64**	पेंशन (संदर्भ: वि. 4-क, 4-ख व15)	88,32.94	81,39.82
केन्द्र के कर/ शुल्क का हिस्सा (संदर्भ: वि. 3 व 14)	**71,11.53**	**82,54.60**	अन्य (संदर्भ:वि. 4-ख)	18,63.28	13,63.70
			कुल (संदर्भ: **वि. 4-क व 15**)	**2,62,84.23**	**2,30,54.98**
			सामाजिक सेवायें (संदर्भ: वि. 4-क व 15)	**1,39,67.39**	**1,24,98.44**
			आर्थिक सेवायें (संदर्भ: वि. 4-क व 15)	**34,32.61**	**33,41.92**
केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान (**संदर्भ: वि. 3 व 14**)	**1,05,21.91**	**70,73.54**	**स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन** (संदर्भ: **वि. 4-क व 15**)	**..**	**2,21.80**
राजस्व घाटा	***1,69,90.08***	***1,12,70.42***	**राजस्व अधिकता**	**..**	**..**

(1) समेकित आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण के लिए सभी क्षेत्रों के वेतन, सहायता व सहायतानुदान के आकड़ें जोड़ लिए गये है। इस विवरण में सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय में वेतन, आर्थिक सहायता, सहायतानुदान पर किया व्यय शामिल नहीं हैं (स्पष्टीकरण टिप्पणी-2 में)।

(2) सहायतानुदान में सभी मुख्य शीर्ष तथा सभी लघु शीर्ष 190, 191, 192,193,195, 196,197,198 एवं 199 के उददेश्य शीर्ष (कोड 09 व 43) के जोड़ को शामिल किया गया है। सरकार द्वारा संवैद्यानिक निगमों, कम्पनियों, स्वायत निकायों, स्थानीय निकायों को दिया गया सहातानुदान उपरोक्त में पंक्ति मद के रूप में शामिल है। यह अनुदान प्रदान किए गए एवं स्थानीय उपक्रमों के करों, शुल्कों से अलग है जिसे अलग पंक्ति मद स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा आबंटन में दर्शाया गया है।

2. प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी-जारी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण	
2019-20	2018-19		2019-20	2018-19
अनुभाग-ख- पूंजी				
पूंजीगत प्राप्तियाँ (संदर्भ: वि. 3 व 14)	**54.01**	**49.01**	**पूंजीगत व्यय** (संदर्भ: वि. 4क, 4ख व 16)	**1,76,65.93**	**1,53,06.60**
			सामान्य सेवायें (संदर्भ: वि. 4क व 16)	5,86.16	7,14.55
			सामाजिक सेवायें (संदर्भ: वि. 4क व 16)	32,33.56	38,04.65
			आर्थिक सेवायें (संदर्भ: वि. 4क व 16)	1,38,46.21(क)	1,07,87.40 (ख)
कर्ज तथा उधार से वसूलियाँ (संदर्भ:वि. 3, 7 व 18)	**53,92.63**	**53,71.90**	**कर्ज तथा उधार संवितरण** (संदर्भ: वि. 4क, 7 व 18)	**13,09.25**	**7,55.64**
			सामान्य सेवायें (संदर्भ: वि. 4क, 7 व 18)	..	..
			सामाजिक सेवायें (संदर्भ: वि. 4क, 7 व 18)	..	..
			आर्थिक सेवायें (संदर्भ: वि. 4क, 7 व 18)	**12,40.38**	**7,00.83**
			सरकारी कर्मचारियों को ऋण (संदर्भ: वि. 4क, 7 व 18)	**68.87**	**54.81**
लोक ऋण प्राप्तियाँ (संदर्भ: वि. 3, 6 व 17)	**4,44,31.82**	**3,42,64.97**	**लोक ऋण की पुर्नअदायगियां** (संदर्भ: वि. 4क, 6 व 17)	**1,57,75.51**	**1,71,83.87**
आंतरिक ऋण (बाजार कर्ज, एन.एस.एस.एफ आदि) (संदर्भ:वि. 3, 6 व 17)	4,43,29.43	3,41,40.14	आंतरिक ऋण (बाजार कर्ज, एन.एस.एस.एफ आदि) (संदर्भ:: वि. 4क, 6 व 17)	1,55,11.63	1,69,84.71
केन्द्रीय सरकार से कर्ज (संदर्भ: वि. 3, 6 व 17)	1,02.39	1,24.83	केन्द्रीय सरकार से कर्ज (संदर्भ: वि. 4क, 6 व 17)	2,63.88	1,99.16
अन्तर्राज्यीय परिशोधन लेखा (निवल)	..	..	**अन्तर्राज्यीय परिशोधन लेखा** (निवल)	..	..
समेकित निधि कुल प्राप्तिया (संदर्भ: वि. 3)	**11,77,36.59**	**10,55,71.00**	**समेकित निधि कुल व्यय** (संदर्भ: वि. 4)	**11,95,98.90**	**11,04,01.65**
समेकित निधि में कमी	**18,62.31**	**48,30.65**	**समेकित निधि में अधिकता**	..	..

(क) ₹ **7,79.82** करोड़ वेतन के सम्मिलित है।

(ख) ₹ **5,71.74** करोड़ वेतन के सम्मिलित है।

2. प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी - समाप्त

(₹ करोड़ में)

	प्राप्तियाँ			संवितरण	
	2019-20	2018-19		2019-20	2018-19
भाग-II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि (सन्दर्भ: वि. 21)	..	12.18	आकस्मिकता निधि (सन्दर्भ: वि. 21)	..	12.18
भाग-III लोक लेखा (3)					
लघु बचत, भविष्य निधि आदि (सन्दर्भ: वि. 21)	36,70.12	35,12.08	लघु बचत, भविष्य निधि आदि (सन्दर्भ: वि. 21)	24,22.89	23,44.37
आरक्षित तथा निक्षेप निधि (सन्दर्भ: वि. 21)	23,17.15	9,44.98	आरक्षित तथा निक्षेप निधि (सन्दर्भ: वि. 21)	3,91.81	3,91.51
जमा (सन्दर्भ: वि. 21)	2,91,11.19	2,65,04.71	जमा (सन्दर्भ: वि. 21)	2,95,93.94	2,51,67.19
अग्रिम (सन्दर्भ: वि. 21)	..	(-)0.02	अग्रिम (सन्दर्भ: वि. 21)	..	..
उचन्त तथा विविध (सन्दर्भ: वि. 21)	8,22,54.13	8,02,05.71	उचन्त तथा विविध (4) (सन्दर्भ: वि. 21)	8,38,77.73	7,89,09.43
प्रेषण (सन्दर्भ: वि. 21)	89,19.27	89,11.01	प्रेषण (सन्दर्भ: वि. 21)	89,73.01	87,40.29
लोक लेखा कुल प्राप्तियाँ (सन्दर्भ: वि. 21)	12,62,71.86	12,00,78.47	लोक लेखा कुल संवितरण (सन्दर्भ: वि. 21)	12,52,59.38	11,55,52.79
लोक लेखे में कमी	..	..	लोक लेखे में अधिकता	10,12.48	45,25.68
आरंभिक रोकड़ शेष	(-)7,94.56	(-)4,89.57	अन्तिम रोकड़ शेष	(-)16,44.39	(-)7,94.56
रोकड़ शेष में बढ़ोतरी	..	..	रोकड़ शेष में कमी	(-)8,49.83	(-)3,04.99

(3) विवरणों के लिए कृपया खण्ड-II में विवरणी संख्या 21 देखें।

(4) उचंत तथा विविध में अन्य लेखे जैसे कि रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) शामिल है । इन अन्य लेखों के कारण संख्याएँ बड़ी दिखाई दे सकती है। विवरणों के लिए खण्ड II की विवरणी संख्या 21 देखें।

विवरणी संख्या 2 का अनुबंध

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

			(₹ करोड़ में)
		31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
(अ) सामान्य रोकड़ शेषः-			
1. रिजर्व बैंक में जमा राशियाँ (1)		(-)16,44.93*	(-)7,95.10
2. मार्गस्थ प्रेषण -स्थानीय		0.54	0.54
	जोड़	**(-)16,44.39**	**(-)7,94.56**
3. रोकड़ शेष निवेश लेखा में दिखाए गये निवेश		22,32.87**	7,21.57
	जोड़ (अ)	**6,88.48**	**(-)72.99**
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश			
विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़			
1. विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ जैसे कि वन और लोक निर्माण कार्य		2.83	3.79
2. आकस्मिक व्यय के लिए विभागीय अधिकारियों के पास स्थाई अग्रिम		0.12	0.12
3. पृथकरक्षित निधियों का निवेश		33,08.04	30,54.63
	जोड़ (ब)	**33,10.99**	**30,58.54**
	जोड़ (अ) और (ब)	**39,99.47**	**29,85.55**

(1) ''रिजर्व बैंक में जमा'' शीर्ष के अन्तर्गत शेष, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेन देनों से संबंधित अन्तर सरकारी वित्तीय समायोजनों जो कि भारतीय रिजर्व बैंक को 10 अप्रैल 2020 तक सूचित किए गए है, को शामिल करके निकाला जाता है।

* प्रधान महालेखाकार के अनुसार ''मार्गस्थ प्रेषण'' के रूप में ₹ 0.54 करोड़ (नामे) के अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक रोकड़ शेष ₹ 16,67.08 करोड (नामे) था । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2020 को सूचित किया गया रोकड़ शेष ₹ 16,44.93 करोड (जमा) है। इस प्रकार दोनों आकड़ों में ₹ 22.15 करोड का अन्तर है। अंतर का मिलान किया जा रहा है ।

** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 22,48.99 करोड. से भिन्न है । अन्तर का मिलान किया जा रहा है ।

विवरणी संख्या 2 का अनुबंध - जारी

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश
व्याख्यात्मक टिप्पणियां

(क) रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य - जैसा कि पूर्व पृष्ठ पर विवरणी में दिया गया है रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में, खजानों में रोकड और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों में जमा तथा मार्गस्थ प्रेषण शामिल है, । शीर्ष 'रिजर्व बैंक में जमा' के शेष, वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के मिश्रित शेषों को दिखाते हैं । कुल रोकड़ स्थिति जानने के लिए खजानों तथा विभागों के पास रोकड़ शेष, रोकड़ शेष/आरक्षित निधियों में से किए गए निवेशों को भारतीय रिजर्व बैंक में 'जमा' शेष में जोडा जाता है ।

(ख) दैनिक रोकड़ शेषः-

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए एक अनुबन्ध के अधीन, हरियाणा सरकार को बैंक के पास न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष ₹ 1.14 करोड़ रखना पड़ता है । जब किसी दिन यह शेष सहमत न्यूनतम राशि से कम हो जाता है तो समय-समय पर साधारण तथा विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर कमी को पूरा कर लिया जाता है ।

अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष देने के लिए दैनिक रोकड़ शेष (2) की गणना हेतु रिजर्व बैंक 14 दिवसीय खजाना बिलों की धारिता के साथ वर्तमान दिवस में किए गए लेन देनों (भारतीय रिजर्व बैंक शाखाएं, अर्न्तशासकीय लेन देन तथा अभिकर्त्ता बैंकों द्वारा किए गए खजाना लेन देनों की रिपोर्ट) का मूल्यांकन करता है । इस तरह प्राप्त रोकड शेष में 14 दिवसीय खजाना बिलों की परिपक्कता, (यदि कोई हो) जोडी जाती है तथा न्यूनतम रोकड़ शेष को रखने के बाद अधिशेष (यदि कोई हो) उसे खजाना बिलों में पुर्ननिवेश किया जाता है । यदि परिणामस्वरूप निवल रोकड़ शेष, न्यूनतम रोकड़ सीमा से कम या क्रेडिट शेष आता है और यदि उस दिन 14 दिवसीय खजाना बिल की परिपक्कता तिथि न हो तो रिजर्व बैंक 14 दिवसीय खजाना बिलों को भुनाता है तथा कमी को पूरा कर लेता है । यदि उस दिन 14 दिवसीय खजाना बिल ना हो तो राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष के लिए आवेदन करती है ।

(ग) 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार की अर्थोपाय अग्रिम सीमा ₹ 9,15.00 करोड़ थी और 31 मार्च 2020 से ₹ 14,64.00 करोड़ तक बढ़ा दी है। बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के विरूद्ध विशेष अर्थोपाय अग्रिम देने को भी सहमत हो गया है। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा समय-समय पर बैंक द्वारा संशोधित की जाती है।

---

(2) ऊपर दिया गया रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक में जमा) 31 मार्च 2020 का अंतिम रोकड़ शेष है परन्तु यह 10 अप्रैल तक निकाला गया है तथा यह स्पष्ट 31 मार्च 2020 को दैनिक शेष नहीं है।

विवरणी संख्या 2 का अनुबंध -समाप्त

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

समय अवधि जिस तक, 2019-20 में, सरकार ने रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम शेष रखा है, का विवरण नीचे दिया गया है।

(क)	दिनों की संख्या जिनमें अग्रिम लिए बिना न्यूनतम शेष बनाए रखा गया	355
(ख)	दिनों की संख्या जिनमें साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष बनाए रखा गया	11
(ग)	दिनों की संख्या जिनमें न्यूनतम सीमा तक विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष बनाये रखा गया	शून्य
(घ)	दिनों की संख्या जिनमें उपरलिखित अग्रिम लेने के बाद भी न्यूनतम शेष कम रहा परन्तु कोई अधिविकर्ष नहीं लिया गया	शून्य
(ड़)	दिनों की संख्या जिनमें अधिविकर्ष लिया गया	शून्य

वर्ष 2018-19 के अन्त तक अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष के अन्तर्गत कोई राशि बकाया नहीं थी। वर्ष 2019-20 में ₹ 12,61.75 करोड़ सामान्य अर्थोपाय अग्रिम लिया गया तथा पूर्ण राशि इसी वर्ष वापिस कर दी गई तथा कोई भी बकाया नहीं रहा।

वर्ष 2018-19 के दौरान अर्थोपाय पेशगीयों पर ₹ 0.42 करोड़ ब्याज के रूप में अदा किए गए ।

राज्य सरकार ने रोकड़ शेष निवेश लेखा के अन्तर्गत ₹ 23,32.87 करोड़ भारत सरकार की प्रतिभूतियों के अन्तर्गत निवेश किए । इस निवेश पर चालू वर्ष में ₹ 76.54 करोड़ ब्याज प्राप्त हुआ जो कि पिछले वर्ष में प्राप्त हुए ब्याज से ₹ 15.00 करोड़ कम था ।

पृथक रक्षित निधियों में से निवेश की गई राशि, विवरणी संख्या 22 में दिखाई गई है ।

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

I कर एवं कर भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2019-20	**2018-19**
क.	**कर राजस्व**		
क.1	**अपना कर राजस्व**	**4,28,24.95**	**4,25,81.34**
	राज्य वस्तु और सेवा कर	1,88,72.95	1,86,12.72
	भू-राजस्व	20.68	19.19
	स्टाम्प और रजिस्ट्री फीस	60,13.30	56,36.17
	राज्य उत्पाद शुल्क	63,22.70	60,41.87
	बिक्री एवं व्यापार आदि पर बिक्री कर	83,97.81	89,98.00
	वाहनों पर कर	29,15.76	29,08.29
	माल और यात्रियों पर कर	15.85	20.70
	बिजली पर कर तथा शुल्क	2,62.01	3,36.92
	बस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	3.89	7.48
क.2.	**करों की निवल प्राप्तियों का भाग**	**71,11.53**	**82,54.60**
	केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर	20,18.07	20,37.54
	एकीकृत वस्तु और सेवा कर	..	1,62.60
	निगम कर	24,24.73	28,70.86
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	18,99.93	21,14.27
	आय और व्यय पर अन्य कर	..	14.95
	सम्पत्ति पर कर	0.11	1.05
	सीमा कर	4,50.77	5,85.17
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	3,13.42	3,88.87
	सेवा कर	..	75.03
	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	4.50	4.26
	जोड़- क	**4,99,36.48**	**5,08,35.94**
ख.	**करेतर राजस्व**		
	ब्याज प्राप्तियाँ	19,,74.86*	19,53.84
	पुलिस	1,79.84	1,76.96
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,07.89	1,59.93
	विविध सामान्य सेवाएं	62.96	1,66.03
	शिक्षा, खेलकूद तथा सांस्कृतिक	4,57.94	2,72.17
	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	1,71.89	1,95.70
	जलापूर्ति और सफाई	59.77	1,90.98
	शहरी विकास	18,55.51	23,15.60
	वानिकी और वन्य जीवन	23.07	28.53
	मुख्य सिंचाई	1,43.93	1,51.46
	अलौह धातु खनन और धातु कर्मीय उद्योग	7,02.25	5,83.20
	सड़क परिवहन	11,14.51	11,96.64
	अन्य	5,45.32	5,84.60
	जोड़- ख	**73,99.74**	**79,75.64**

* ब्याज की पुस्तकीय समायोजन की राशि ₹ 14,20.26 करोड़ सम्मिलित है।

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि) - जारी

II भारत सरकार से अनुदान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वस्तविक	
		2019-20	2018-19
ग.	**केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान**		
ग -1	**केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं**	**28,51.99**	**28,43.09**
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान	28,51.99	28,43.09
	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	..	..
ग -2	**वित आयोग अनुदान**	**20,05.74**	**12,74.26**
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान	17,78.64	9,53.86
	राज्य आपदा राहत निधि के लिए अनुदान	2,27.10	3,20.40
ग -3	**राज्य को अन्य अनुदान/हस्तान्तरण**	**56,64.18**	**29,56.19**
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान	54,63.41	28,75.26
	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	2,00.77	80.93
	जोड़- ग	**1,05,21.91**	**70,73.54**
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ (क + ख + ग) =	**6,78,58.13**	**6,58,85.12**

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि) - समाप्त

III पूंजीगत लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2019-20	**2018-19**
घ.	**पूंजीगत प्राप्तियॉ**	54.01	49.01
	विनिवेश प्राप्तियाँ		
	जोड़ -घ.	**54.01**	**49.01**
ङ	**लोक ऋण प्राप्तियाँ**		
	आंतरिक ऋण		
	बाजार ऋण	2,46,76.85	2,12,65.00
	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगी	12,61.75	5,05.03
	बॉन्ड	..	..
	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,82,75.07	1,23,44.13
	अन्य ऋण	1,15.76	25.98
	जोड़- ङ	**4,43,29.43**	**3,41,40.14**
च.	**केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम1**		
	राज्य योजना स्कीम के लिए कर्ज	1,02.39	1,24.83
	केन्द्रीय योजना स्कीम के लिये कर्ज	..	..
	केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना स्कीम के लिए कर्ज	..	..
	जोड़- च.	**1,02.39**	**1,24.83**
छ.	**राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम (वसूलियाँ)1**	**53,92.63**	**53,71.90**
	आकस्मिक निधि की कुल प्राप्तियाँ (क + ख + ग + घ + ड़ + च +छ)	**11,77,36.59**	**10,55,71.00**

1. विस्तृत विवरण खण्ड-I की विवरणी 7 व खण्ड-II की विवरणी 18 में है ।

4. व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

क - कार्य अनुसार व्यय					(₹ करोड़ में)
विवरण		राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	जोड़
क.	**सामान्य सेवाएं-**				
क 1	**राज्य के अंग-**	**11,76.61**	..	..	**11,76.61**
	संसद /राज्य/संघ क्षेत्रों के विधान मण्डल	78.57	..	..	78.57
	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल / संघ क्षेत्रों के प्रशासक	16.72	..	..	16.72
	मन्त्री परिषद्	1,66.26	..	..	1,66.26
	न्याय प्रशासन	7,81.13	..	..	7,81.13
	निर्वाचन	1,33.93	..	..	1,33.93
क 2	**राज्य वित्तीय सेवाएं**	**5,30.08**			**5,30.08**
	भू-राजस्व	2,35.49	..	..	2,35.49
	स्टाम्प और पंजीकरण	9.88	..	..	9.88
	राज्य उत्पाद शुल्क	46.56	..	..	46.56
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,72.03	..	..	1,72.03
	वाहनों पर कर	57.54	..	..	57.54
	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	5.89	..	..	5.89
	अन्य राज वित्तीय सेवाएं	2.69	..	..	2.69
क 3	**ब्याज अदायगियां एवं ऋण सेवा**	**1,55,88.01**			**1,55,88.01**
	ब्याज अदायगियां	1,55,88.01	..	..	1,55,88.01
क 4	**प्रशासनिक सेवाएं-**	**56,06.89**	**5,86.16**	**..**	**61,93.05**
	लोक सेवा आयोग	1,24.70	..	..	1,24.70
	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	1,92.82	..	..	1,92.82
	जिला प्रशासन	2,37.37	..	..	2,37.37
	खजाना तथा लेखा प्रशासन	79.59	..	..	79.59
	पुलिस	44,23.72	2,29.70	..	46,53.42
	जेल	2,20.01	..	..	2,20.01
	आपूर्ति और निपटान	4.15	..	..	4.15
	लेखन सामग्री और मुद्रण	14.25	1.50	..	15.75
	लोक निर्माण-कार्य	1,74.52	3,54.96	..	5,29.48
	सतर्कता	37.71	..	..	37.71
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	98.05	..	..	98.05

4. व्यय की विवरणी (समेकित निधि) - जारी

क - कार्य अनुसार व्यय					(₹ करोड़ में)
	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	जोड़
क	**सामान्य सेवाएं - समाप्त**				
क 5	**पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं-**	**89,82.36**	**..**	**..**	**89,82.36**
	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	88,32.94	..	..	88,32.94
	विविध सामान्य सेवाएं	1,49.42	..	..	1,49.42
	जोड़ - क. सामान्य सेवायें	**3,18,83.95**	**5,86.16**	..	**3,24,70.11**
ख	**सामाजिक सेवाएं-**				
ख 1	**शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति-**	**1,44,79.34**	**3,88.28**	**..**	**1,48,67.62**
	सामान्य शिक्षा	1,36,44.01	2,94.74	..	1,39,38.75
	तकनीकी शिक्षा	5,29.49	25.21	..	5,54.70
	खेलकूद और युवा सेवाएं	2,92.08	60.14	..	3,52.22
	कला और संस्कृति	13.76	8.19	..	21.95
ख 2	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण-**	**44,72.43**	**5,10.17**	**..**	**49,82.60**
	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	42,49.85	5,10.17	..	47,60.02
	परिवार कल्याण	2,22.58	..	..	2,22.58
ख 3	**जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास-**	**51,47.25**	**21,52.86**	**..**	**73,00.11**
	जलापूर्ति और सफाई	18,07.77	11,73.72	..	29,81.49
	आवास	38.68	95.42	..	1,34.10
	शहरी विकास	33,00.80	8,83.72	..	41,84.52
ख 4	**सूचना और प्रसारण-**	**2,28.42**	**40.30**		**2,68.72**
	सूचना और प्रचार	2,28.42	40.30	..	2,68.72
ख 5	**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-**	**2,87.19**	**2.50**	**..**	**2,89.69**
	अनुसूचितजातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2,87.19	2.50	..	2,89.69
ख 6	**श्रम और श्रम कल्याण -**	**9,09.42**	**..**	**..**	**9,09.42**
	श्रम, रोजगार और कौशल विकास	9,09.42	..	..	9,09.42
ख 7	**समाज कल्याण और पोषण-**	**81,86.66**	**22.08**	**..**	**82,08.74**
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	76,18.95	22.08	..	76,41.03
	पोषण	1,64.65	..	..	1,64.65
	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	4,03.06	..	..	4,03.06

4. व्यय की विवरणी(समेकित निधि) - जारी

क - कार्य अनुसार व्यय (₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	जोड़
ख -	**सामाजिक सेवाएं- समाप्त**				
ख 8	**अन्य-**	**15.77**	**1,17.37**	**..**	**1,33.14**
	अन्य सामाजिक सेवाएं	8.72	1,17.37	..	1,26.09
	सचिवालय- सामाजिक सेवाएं	7.05	..	..	7.05
	जोड़- ख. सामाजिक सेवाएं	**3,37,26.48**	**32,33.56**	**..**	**3,69,60.04**
ग.	**आर्थिक सेवाएं-**				
ग. 1	**कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप-**	**32,01.01**	**44,77.27**	**2,63.96**	**79,42.24**
	कृषि कार्य	9,69.49	2.70	1,60.00	11,32.19
	भू और जल संरक्षण	73.85	..	..	73.85
	पशुपालन	8,22.72	5.00	..	8,27.72
	डेयरी विकास	0.72	..	..	0.72
	मत्स्य पालन	50.29	..	..	50.29
	वानिकी और वन्य जीवन	3,14.52	..	..	3,14.52
	खाद्य भण्डारण और भण्डारागार	2,00.55	44,02.31		46,02.86
	कृषि संबंधी अनुसंधान और शिक्षा	4,82.82	..	..	4,82.82
	सहकारिता	2,84.72	67.26		4,55.94
	अन्य कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम	1.33	..	..	1.33
ग. 2	**ग्रामीण विकास-**	**39,56.62**	**28.59**	**0.15**	**39,85.36**
	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1,16.13	..	..	1,16.13
	ग्रामीण रोजगार	1,10.13	..	..	1,10.13
	भूमि सुधार	16.16	..	..	16.16
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	37,14.20	28.59	0.15	37,42.94
ग. 3	**सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण-**	**14,92.00**	**14,00.82**	**..**	**28,92.82**
	मुख्य सिंचाई	11,56.86	6,72.91	..	18,29.77
	मध्यम सिंचाई	2,12.05	4,34.34	..	6,46.39
	लघु सिंचाई	7.79	..	..	7.79
	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	..	2,93.57	..	2,93.57
	कमाण्ड क्षेत्र विकास	1,15.30	..	..	1,15.30

4. व्यय की विवरणी (समेकित निधि) - जारी

क - कार्य अनुसार व्यय					(₹ करोड़ में)
	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	जोड़
ग.	**आर्थिक सेवाएं- समाप्त**				
ग. 4	**ऊर्जा-**	**70,15.30**	**58,29.63**	**1,60.63**	**1,30,05.56**
	विद्युत	69,78.40	58,25.00	1,60.63	1,29,64.03
	नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा	36.90	4.63	..	41.53
ग. 5	**उद्योग और खनिज-**	**3,92.19**	**13.21**	**8,15.64**	**12,21.04**
	ग्राम और लघु उद्योग	2,28.90	13.06	44.82	2,86.78
	उपभोक्ता उद्योग	..	0.14	7,70.82	7,70.96
	उद्योग	86.36	0.01	..	86.37
	अलोह धातु खनन और धातु कर्मीय उद्योग	76.93	..	..	76.93
ग. 6	**परिवहन**	**30,78.58**	**18,19.45**	**..**	**48,98.03**
	सिविल विमानन	4.56	15.76	..	20.32
	सड़कें और पुल	10,86.52	18,00.07	..	28,86.59
	सड़क परिवहन	19,87.50	3.62	..	19,91.12
ग. 7	**विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण**	**24.98**	**11.50**	**..**	**36.48**
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13.37	11.50	..	24.87
	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	11.61	..	..	11.61
ग. 8	**सामान्य आर्थिक सेवाएं-**	**77.10**	**2,65.74**	**..**	**3,42.84**
	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	25.80	..	..	25.80
	पर्यटन	22.63	28.85	..	51.48
	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	21.11	..	..	21.11
	सार्वजनिक आपूर्ति	0.19	..	..	0.19
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	7.37	2,36.89	..	2,44.26
	जोड़- ग आर्थिक सेवाएं	**1,92,37.78**	**1,38,46.21**	**12,40.38**	**3,43,24.37**
घ.	**सहायता अनुदान और अंशदान-**				
	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	..	..	..	..
	जोड़ - घ सहायतानुदान और अंशदान	**..**	**..**	**..**	**..**

4. व्यय की विवरणी (समेकित निधि) - जारी

क - कार्य अनुसार व्यय					(₹ करोड़ में)
	विवरण	**राजस्व**	**पूंजीगत**	**ऋण एवं अग्रिम**	**जोड़**
ड़.	**सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्जे**	..	..	**68.87**	**68.87**
	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्जे	..	..	68.87	68.87
च.	**लोक ऋण**			**1,57,75.51**	**1,57,75.51**
	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	..	..	1,55,11.63	1,55,11.63
	केन्द्रीय सरकार से कर्जे और पेंशगियाँ	..	..	2,63.88	2,63.88
छ.	**अन्तर राज्यीय निपटारा**	..	..	..	..
ज.	**आकस्मिक निधि में विनियोजन**	..	..	..	..
	जोड़- समेकित निधि व्यय	**8,48,48.21**	**1,76,65.93**	**1,70,84.76**	**11,95,98.90**

4. व्यय की विवरणी (समेकित निधि) - जारी

ख. प्रकृति अनुसार व्यय									(₹ करोड़ में)
	2019-20			2018-19			2017-18		
व्यय का उद्देश्य	राजस्व	पूंजीगत	जोड़	राजस्व	पूंजीगत	जोड़	राजस्व	पूंजीगत	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वेतन	1,87,81.31	7,79.92	1,95,61.13	1,76,95.74	5,71.74	1,82,67.48	1,65,94.31	5,24.85	1,71,19.16
ऋण	..	1,70,84.76	1,70,84.76	..	1,79,39.51	1,79,39.51	..	77,33.74	77,33.74
ब्याज	1,63,68.39	6,39.94	1,70,08.33	1,42,69.14	3,00.00	1,45,69.14	1,26,25.94	2,63.93	1,28,89.87
पेंशन	1,32,63.47	0.93	1,32,64.40	1,21,51.59	0.83	1,21,52.42	1,18,85.24	0.66	1,18,85.90
अग्रिम	89.00	1,32,13.50	1,33,02.50	94.00	1,18,43.47	1,19,37.47	75.08	86,75.02	87,50.10
सहायतानुदान	1,13,37.35	..	1,13,37.35	1,00,77.83	..	1,00,77.83	98,44.31	..	98,44.31
वित्तिय सहायता	81,05.18	..	81,05.18	85,49.07	..	85,49.07	84,45.81	..	84,45.81
मुख्य कार्य	..	65,69.69	65,69.69	..	68,85.52	68,85.52	..	60,41.32	60,41.32
निवेश	..	58,60.15	58,60.15	..	56,06.31	56,06.31	14.20	57,21.97	57,36.17
मंहगाई भत्ता	25,45.81	..	25,45.81	15,04.49	..	15,04.49	9,32.09	..	9,32.09
ऊर्जा प्रभार	11,30.88	..	11,30.88	11,91.61	..	11,91.61	11,72.42	..	11,72.42
अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अवयव	11,31.58	2,12.01	13,43.59	9,57.68	2,31.25	11,88.93	13,20.58	1,80.13	15,00.71
रख-रखाव	12,86.06	..	12,86.06	11,44.34	..	11,44.34	11,73.16	..	11,73.16
अन्य चार्ज	11,43.37	..	11,43.37	10,49.00	0.30	10,49.30	9,01.65	0.19	9,01.84
योगदान	11,89.47	..	11,89.47	9,74.03	..	9,74.03	9,92.24	..	9,92.24
उपदान	10,91.73	..	10,91.73	9,15.72	..	9,15.72	10,65.06	..	10,65.06
मानदेय	9,55.28	..	9,55.28	8,82.91	..	8,82.91	5,29.72	..	5,29.72
अनुबधित सेवाऐं	8,74.72	..	8,74.72	7,08.90	..	7,08.90	4,32.56	..	4,32.56
सामग्री और आपूर्ति	6,57.30	..	6,57.30	6,86.52	..	6,86.52	4,75.13	..	4,75.13
मोटर वाहन	5,78.26	..	5,78.26	6,49.60	..	6,49.60	5,82.09	..	5,82.09
प्रतिपूर्ति	64.25	94.93	1,59.18	2,80.13	2,64.88	5,45.01	14,42.08	92.09	15,34.17
एक्स ग्रेसिया	4,87.00	..	4,87.00	4,61.74	..	4,61.74	3,91.68	..	3,91.68
लधु कार्य	5,49.63	..	5,49.63	4,47.15	..	4,47.15	4,23.61		4,23.61
छात्रवृत्ति एवं वजीफा	2,22.69	..	2,22.69	3,86.25	..	3,86.25	2,36.87	..	2,36.87
मजदूरी	6,43.83	..	6,43.83	3,51.95	..	3,51.95	3,03.50	..	3,03.50
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	3,69.18	..	3,69.18	3,00.62	..	3,00.62	2,66.13	..	2,66.13
बेरोजगारी भत्ता	3,70.94	..	3,70.94	2,65.05	..	2,65.05	1,58.71	..	1,58.71
कार्यालय व्यय	1,99.91	..	1,99.91	2,18.29	..	2,18.29	1,61.35	..	1,61.35
अवकाश यात्रा रियायत	3,94.33	..	3,94.33	2,11.27	..	2,11.27	2,77.54	..	2,77.54
भूमी	..	80.32	80.32	1.14	1,84.13	1,85.27	1.06	78.69	79.75
ऐच्छिक अनुदान	1,57.08	..	1,57.08	1,42.85	..	1,42.85	1,44.56	..	1,44.56
किराया दर एवं कर	1,25.91	..	1,25.91	1,41.33	..	1,41.33	1,45.51	..	1,45.51

4. व्यय की विवरणी (समेकित निधि) - समाप्त

ख. प्रकृति अनुसार व्यय **(₹ करोड़ में)**

	2019-20			2018-19			2017-18		
व्यय का उद्देश्य	राजस्व	पूंजीगत	जोड़	राजस्व	पूंजीगत	जोड़	राजस्व	पूंजीगत	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
यात्रा व्यय	1,79.51	..	1,79.51	1,37.64	..	1,37.64	1,03.81	..	1,03.81
विज्ञापन और प्रचार	1,37.30	..	1,37.30	1,24.07	..	1,24.07	48.79	..	48.79
कम्प्यूटरीकरण	1,52.27	..	1,52.27	1,10.49	..	1,10.49	77.73	..	77.73
भण्डार एवं सामान	86.46	0.08	86.54	93.28	0.10	93.38	..	..	..
पेट्रोल,तेल तथा तैलीय पदार्थ	1,08.72	..	1,08.72	92.06	..	92.06	85.62	..	85.62
क्रय	8.57	4.41	12.98	5.92	82.99	88.91	7.68	96.99	1,04.67
फीडिंग/कैस डोल्ज़	1,04.53	..	1,04.53	84.41	..	84.41	1,10.65	..	1,10.65
व्यवसायिक एवं विशेषा सेवा	77.35	..	77.35	69.20	..	69.20	54.80	..	54.80
विविध	2,54.40	..	2,54.40	65.16	..	65.16	45.44	..	45.44
अनुसंधान एवं विकास	0.18	56.47	56.65	..	58.37	58.37	..	16.49	16.49
गुप्त सेवाएं	36.63	..	36.63	48.24	..	48.24	28.15	..	28.15
ह्रास	43.86	..	43.86	43.87	..	43.87	43.89	..	43.89
उपहार और पुरस्कार	26.82	..	26.82	29.46	..	29.46	40.51	..	40.51
भवन	..	27.59	27.59	0.07	22.21	22.28	0.70	16.72	17.42
निर्वाचन व्यय	91.60	..	91.60	16.24	..	16.24	..	..	..
मशीनरी तथा सामान	27.26	46.50	73.76	0.25	13.14	13.39	1,05.76	23.54	1,29.30
प्रकाशन	7.44	..	7.44	8.15	..	8.15	..	..	..
प्रशिक्षण	15.89	..	15.89	7.26	..	7.26	..	..	..
फर्नीचर	1.03	4.83	5.86	1.58	3.75	5.33	..	..	..
प्रतिवद्धता शुल्क	4.78	..	4.78	4.62	..	4.62	..	..	..
जल शुल्क	2.81	..	2.81	2.85	..	2.85	..	..	..
अन्य	26.92	..	26.92	21.64	..	21.64	42.32	1.34	43.66
उचंत	(-)3,28.04	0.14	(-)3,27.90	(-)3,11.47	(-)10.67	(-)3,22.14	(-)3,19.04	4.01	(-)3,15.03
वसूलियां घटायें	(-)3,31.99	(-)99,25.58	(-)1,02,57.15	(-)2,09.39	(-)1,07,51.72	(-)1,09,61.11	2,33.64	82,00.04	84,33.68
जोड़ -	**8,48,48.21**	**3,47,50.69**	**11,95,98.90**	**7,71,55.54**	**3,32,46.11**	**11,04,01.65**	**7,32,57.36**	**2,12,71.64**	**9,45,29.00**

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य लेखा शीर्ष	विवरण	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 तक प्रगामी व्यय	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक प्रगामी व्यय	प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी)
				(₹ करोड़ में)		
क.	**सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा**					
4055.	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	2,55.80	18,14.16	2,29.70	20,43.86	(-)10.20
4058.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0.09	9.62	1.50	11.12	1566.67
4059	लोक निर्माण-कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4,58.66	26,70.15	3,54.96	30,25.11	(-)22.61
जोड़-क	**सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा**	**7,14.55**	**44,93.93**	**5,86.16**	**50,80.09**	**(-)17.97**
ख.	**सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा--**					
(क)	**शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति का पूंजीगत लेखा**					
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	3,96.27	23,08.49	3,88.28	26,96.77	(-)2.02
जोड़-(क)	**शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा**	**3,96.27**	**23,08.49**	**3,88.28**	**26,96.77**	**(-)2.02**
(ख)	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा--**					
4210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	3,32.83	14,79.23	5,10.17	19,89.40	53.28
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	..	40.81	..	40.81	..
जोड़-(ख)	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा**	**3,32.83**	**15,20.04**	**5,10.17**	**20,30.21**	**53.28**

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी - जारी

मुख्य लेखा शीर्ष	विवरण	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 तक प्रगामी व्यय	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक प्रगामी व्यय	प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी)
				(₹ करोड़ में)		
ख.	**सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा**					
	(ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-					
4215	जलापूर्ति और सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	14,64.96	1,36,53.06	11,73.72	1,48,26.78	(-)19.88
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	88.83	6,23.03	95.42	7,18.45	7.42
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	13,00.00	43,55.76	8,83.72	52,39.48	(-)32.02
	जोड़-(ग)जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास का पूंजीगत लेखा	**28,53.79**	**1,86,31.85**	**21,52.86**	**2,07,84.71**	**(-)24.56**
	(घ) सूचना एवं प्रसारण का पूंजीगत लेखा					
4220	सूचना एवं प्रसारण का पूंजीगत परिव्यय	22.06	72.59	40.30	1,12.89	82.68
	जोड़-(घ)सूचना एवं प्रसारण का पूंजीगत लेखा	**22.06**	**72.59**	**40.30**	**1,12.89**	**82.68**
	(ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा					
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	6.03	65.88	2.50	68.38	(-)58.54
	जोड़-(ड़)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा	**6.03**	**65.88**	**2.50**	**68.38**	**(-)58.54**
	(च) सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार का पूंजीगत लेखा--					
4235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	98.20	5,38.84		5,60.92	(-)77.52
	जोड़-(च)सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार का पूंजीगत लेखा	**98.20**	**5,38.84**		**5,60.92**	**(-)77.52**

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी - जारी

मुख्य लेखा शीर्ष	विवरण	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 तक प्रगामी व्यय	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक प्रगामी व्यय	प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी)
				(₹ करोड़ में)		
ख.	**सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा**					
(छ)	**अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-**					
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	95.47	11,97.43	1,17.37	13,14.03 (क)	22.94
जोड़-(छ)	**अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा**	**95.47**	**11,97.43**	**1,17.37**	**13,14.03 (क)**	**22.94**
	जोड़-ख सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	**38,04.65**	**2,43,35.12**	**32,33.56**	**2,75,67.91 (क)**	**(-)15.01**
ग.	**आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-**					
(क)	**कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा-**					
4401	कृषि कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	2.09	3.71	2.70	6.41	29.19
4402	भूमि और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	..	1.37	..	1.37	..
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	20.00	54.04	5.00	59.04	(-)75.00
4404	डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	..	18.55	..	18.47(ख)	..
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	..	3.92		3.92	
4406.	वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	..	1.57	..	1.57	..
4408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागार पर पूंजीगत परिव्यय	16,69.51	52,10.48	44,02.31	96,12.79	163.69
4416	कृषिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश	..	0.53	..	0.53	..
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	1,24.49	7,75.15 (ख)	67.26	7,89.34 (ग)	(-)45.97
4435	अन्य कृषिक कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	..	(-)2.08	..	(-)2.08(घ)	..
	जोड़-(क)कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा	**18,16.09**	**60,67.24**	**44,77.27**	**1,04,91.36 (ङ)**	**146.53**

(क) ₹ 0.77 करोड़ की प्रोफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/ निवृत्ति के कारण की गई। (ख) ₹ 0.08 करोड़ की प्रोफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/ निवृत्ति के कारण की गई।

(ग) ₹ 53.07 करोड़ की प्रोफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/ निवृत्ति के कारण की गई। (घ) माईनस आंकड़े व्यय से अधिक प्राप्तियों तथा वसूलियों के कारण था

(ङ) ₹ 53.15 करोड़ की प्रोफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/ निवृत्ति के कारण की गई।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी - जारी

मुख्य लेखा शीर्ष	विवरण	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 तक प्रगामी व्यय	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक प्रगामी व्यय	प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी)
				(₹ करोड़ में)		
ग.	**आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी**					
(ख)	**ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा**					
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम का पूंजीगत परिव्यय	3.86	3.86	28.59	32.45	640.67
	जोड-(ख) ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा	**3.86**	**3.86**	**28.59**	**32.45**	**640.67**
(घ)	**सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण का पूंजीगत लेखा**					
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5,50.88	61,38.00	6,72.91	68,10.91	22.15
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5,36.71	71,57.09	4,34.34	75,91.43	(-)19.07
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	..	5,50.71	..	5,50.71	..
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,86.79	23,46.02	2,93.57	26,39.59	57.17
	जोड-(घ) सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण का पूंजीगत लेखा	**12,74.38**	**1,61,91.82**	**14,00.82**	**1,75,92.64**	**9.92**
(ड.)	**ऊर्जा का पूंजीगत लेखा--**					
4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	55,00.25	2,29,76.38	58,25.00	2,88,01.38	5.90
4810	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	..	..	4.63	4.63	100.00
	जोड़-(ड.) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा	**55,00.25**	**2,29,76.38**	**58,29.63**	**2,88,06.01**	**5.99**
(च)	**उद्योग और खनिजों का पूंजीगत लेखा--**					
ग्राम	और लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	1.90	25.48	13.06	38.45(क)	587.37
4854	सीमेंट और अधातु खनिज उद्योगों पर पूंजीगत	..	0.03	..	0.03	..
4858	इंजीनियरिंग उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	0.41	..	0.41	..
4859	दूर संचार तथा इलैक्ट्रोनिक उद्योगों पर पूंजीगत	..	11.95	..	11.95	..
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पंजीगत परिव्यय	0.20	45.74	0.14	45.88	(-)30.00
4875	अन्य उद्योगों पर पंजीगत परिव्यय	..	0.09	..	0.09	..

(क) ₹ 0.09 करोड़ की प्रोफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/ निवृत्ति के कारण की गई।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी - जारी

मुख्य लेखा शीर्ष	विवरण	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 तक प्रगामी व्यय	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक प्रगामी व्यय	प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी)
					(₹ करोड़ में)	
ग.	**आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी**					
(च)	**उद्योग और खनिजों का पूंजीगत लेखा--**					
4885	उद्योग और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	0.01	2,89.40	0.01	2,89.41	..
	जोड़-(च) उद्योग और खनिजों का पूंजीगत लेखा	**2.11**	**3,73.10**	**13.21**	**3,86.22(क)**	**526.07**
(छ)	**परिवहन का पूंजीगत लेखा--**					
5053	सिविल विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	1,00.43	1,99.66	15.76	2,15.42	(-)84.31
5054	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	16,03.76	1,72,33.34	18,00.07	1,90,33.41	12.24
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	62.61	16,68.72	3.62	16,72.34	(-)94.22
	जोड़-(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा	**17,66.80**	**1,91,01.72**	**18,19.45**	**2,09,21.17**	**2.98**
(झ)	**विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा**					
5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	..	14.00	11.50	25.50	100.00
	जोड-(झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा	**..**	**14.00**	**11.50**	**25.50**	**100.00**
(ण)	**सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा**					
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	24.05	3,53.07	28.85	3,81.92	19.96
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3,99.86	7,06.24	2,36.89	9,43.13	(-)40.76
	जोड़-(ण) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	**4,23.91**	**10,59.31**	**2,65.74**	**13,25.05**	**(-)37.31**
	जोड़-ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	**1,07,87.40**	**6,57,87.43**	**1,38,46.21**	**7,95,80.40 (ख)**	**28.36**
	कुल योग	**1,53,06.60**	**9,46,16.48**	**1,76,65.93**	**11,22,28.40 (ग)**	**15.41**

(क) ₹ 0.09 करोड़ की प्रोफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/ निवृत्ति के कारण की गई।

(ख) ₹ 53.24 करोड़ की प्रोफार्मा कमी पूंजीगत वनवेश/ निवृत्ति के कारण की गई।

(ग) ₹ 54.01 करोड़ की प्रोफार्मा कमी पूंजीगत वनवेश/ निवृत्ति के कारण की गई।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी - समाप्त

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों और सहकारी संस्थाओं के शेयरों में सरकारी निवेशों के ब्यौरे विवरणी संख्या 19 में दिए गए हैं।

वर्ष 2019-20 में सरकार ने ₹ 62,29.02 करोड़ निवेशित किए हैं, सरकारी कपनियों में (₹ 61,78.13 करोड़) सहकारी संस्थाओं में (₹ 50.89 करोड) । सहकारी संस्थाओं में निवेश से, ₹ 54.01 करोड वर्ष के दौरान निवृत्त किए गए हैं।

वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के अन्त में विभिन्न प्रतिष्ठानों की शेयर पूंजी में सरकार के कुल निवेश क्रमशः ₹ 1,73,74.35 करोड़, ₹ 3,07,47.91 करोड़ और ₹ 3,69,22.92 करोड़ थे । तीन वर्षों के दौरान उन से प्राप्त लाभांश क्रमशः ₹ 7.53 करोड़ (0.04 *प्रतिशत*), ₹ 56.60 करोड़ (0.18 *प्रतिशत*) और ₹ 87.01 करोड़ (0.24 *प्रतिशत*) था। अधिक विवरण विवरणी संख्या 19 में दिया गया है ।

2. सिंचाई निर्माण-कार्यों, जिनके पूंजीगत और राजस्व लेखे रखे जाते हैं, के वित्तीय परिणाम परिशिष्ट VIII में दिए गए हैं ।

3. वचनबद्धता की विवरणी के रूप में अपूर्ण परियोजनाओं के विवरण परिशिष्ट-IX में दिए गए हैं ।

4. विभागीय प्रबन्धित सरकारी वाणिज्यिक तथा अर्ध वाणिज्यिक उपक्रमों, जिनका निवल व्यय निम्न तालिका में दर्शाया गया है के 2019-20 के प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये गये हैं (अगस्त 2020)।

इन विभागीय प्रबन्धित सरकारी उपक्रमों के कार्य चालन के वित्तीय परिणाम का सारांश नवीनतम उपलब्ध प्रोफार्मा लेखे के अनुसार नीचे दिखाया गया है:-

क्रम संख्या	उपक्रम/योजना	मुख्य शीर्ष जिसके अन्तर्गत कार्य-व्यय लेखांकित किया गया	लेखे का वर्ष	नियोजित पूंजी	लाभ (+) हानि (-)	नियोजित पूंजी से संबंधित लाभ या हानि की प्रतिशतता
				(₹ करोड़ में)		
1.	मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग-राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक योजना	4058 मुद्रण तथा लेखन सामग्री पर पूंजीगत परिव्यय	2007-08	17.97	(+)1.74	(+)9.68
2.	कृषि विभाग-	4401 कृषि कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	1988-89	..(क)	..	..(क)
	(i) बीज डिपो योजना					
	(ii) कीटनाशक दवाईयों का क्रय तथा वितरण	-सम-	1986-87	0.01	..	..
3.	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग-अनाज आपूर्ति योजना	4408 खाद्य भण्डारण और भण्डारागार पर पूंजीगत परिव्यय	2016-17	79,95.52	(-)2,15.00	(-)2.69
4.	परिवहन विभाग-हरियाणा राज्य परिवहन	5055 सडक परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	2014-15	11,86.24	(-)5,17.04	(-)43.59

(क) विभाग से सूचना प्राप्त नहीं हुई (अगस्त 2020)

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

(1)लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण (1)

उधारों का स्वरूप	1 अप्रैल 2019 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान वापसियां	31 मार्च 2020 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		लोक ऋण व अन्य दायित्वों से प्रतिशतता
क लोक-ऋण					राशि	प्रतिशत	
					(₹ करोड़ में)		
6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण							
बाजार कर्जे	11,49,89.59	2,46,76.85	40,00.00	13,56,66.44	2,06,76.85	17.98	62.94
तरीके एवं साधन	..	12,61.75	12,61.75	..	..	..	..
बन्ध-पत्र	2,59,50.00	..	..	2,59,50.00	..	..	12.04
वित्तीय संस्थानों से कर्जे	30,03.32	1,82,75.07	90,28.82	1,22,49.57	92,46.25	3,07.87	5.68
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,03,69.51	..	10,04.39	93,65.12	(-)10,04.39	(-)9.69	4.34
अन्य कर्जे	6,55.38	1,15.76	2,16.67	5,54.47	(-)1,00.91	(-)15.40	0.26
जोड़- 6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	**15,49,67.80**	**4,43,29.43**	**1,55,11.63**	**18,37,85.60**	**2,88,17.80**	**18.60**	**85.26**
6004 केन्द्रीय सरकार से कर्जे तथा पेशगियां	**18,66.94**	**1,02.39**	**2,63.88**	**17,05.45**	**(-)1,61.49**	**(-)8.65**	**0.79**
क. कुल लोक ऋण	**15,68,34.74**	**4,44,31.82**	**1,57,75.51**	**18,54,91.05**	**2,86,56.31**	**18.27**	**86.05**

(1) विस्तृत लेखे विवरणी 17 व 21 में हैं।

6- उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी - जारी

(1)लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण(1)

उधारों का स्वरूप	1 अप्रैल 2019 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान वापसियां	31 मार्च 2020 को शेष	निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)		लोक ऋण व अन्य दायित्वों से प्रतिशतता
ख अन्य दायित्व					राशि	प्रतिशत	
					(₹ करोड़ में)		
राज्य भविष्य निधि	1,56,91.94	36,33.64	23,94.65	1,69,30.93	12,38.99	7.00	7.85
बीमा और पैंशन निधियां	23.29	36.49	28.24	31.54	8.25	35.42	0.01
ब्याज वाली आरक्षित निधियां	30,86.93	19,78.24	1,02.80	49,62.37	18,75.43	60.75	2.30
बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	1,74.05	3,38.91	2,89.01	2,23.95	49.91	28.68	0.10
ब्याज वाली जमा	4,03.41	14,27.15	14,08.79	4,21.77	18.36	4.55	0.20
बिना ब्याज वाली जमा	80,01.14	2,76,84.04	2,81,84.04	75,00.03	(-)5,01.11	(-)6.26	3.48
जोड़- अन्य दायित्व	**2,73,80.76**	**3,50,98.47**	**3,24,08.64**	**3,00,70.59**	**26,89.83**	**9.82**	**13.95**
जोड़ क लोक-ऋण व अन्य दायित्व	**18,42,15.50**	**7,95,30.29**	**4,81,84.15**	**21,55,61.64**	**3,13,46.14**	**17.02**	**100.00**

(1) विस्तृत लेखे विवरणी 17 व 21 में हैं

6- उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी - जारी

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. परिशोधन व्यवस्थाएं

राज्य सरकार ने निम्नलिखित कर्जों की वापसी के लिए परिशोधन व्यवस्थाएं की हैः-

निक्षेप निधि का नाम	1 अप्रैल 2019 को शेष	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान	31 मार्च 2020 को अन्त शेष
			(₹ करोड़ में)	
1. संयुक्त राज्य पंजाब द्वारा भाखड़ा नंगल परियोजना के लिए प्राप्त कर्जे	0.22	..	..	0.22
2. भारत सरकार के समेकित खुले बाजार उधारों से प्राप्त कर्जे	1.91	..	..	1.91
3. बाजार कर्जों का परिशोधन	19,24.04	1,57.89	..	20,81.93
जोड़	**19,26.17**	**1,57.89**	**..**	**20,84.06**

निक्षेप निधि में कुल शेष ₹ 20,84.06 में से ₹ 20,81.93 करोड़ भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किए गए।

2. **लघु बचत निधि से ऋणः** डाक घरों में एकत्रित लघु बचत योजनाओं तथा लोक भविष्य निधि में से ऋण राज्य व केन्द्र सरकारों के बीच 3:1 के अनुपात में विभाजित होते हैं। वर्ष 1999-2000 में इस उददेश्य के लिए लघु बचत संग्रहों में से ऋण जारी करने हेतु एक अलग निधि 'राष्ट्रीय लघु बचत निधि' के नाम से सृजित की गई। वर्ष 2019-20 के दौरान शून्य ऋण प्राप्त किए गए तथा ₹ 10,04.39 करोड़ अदा किए गए थे। वर्ष के अन्त में बकाया शेष ₹ 93,65.12 करोड़ था, जोकि 31 मार्च 2020 को राज्य सरकार के सकल लोक ऋण तथा कुल अन्य देयताओं का 4.34 *प्रतिशत* था।

3. **राज्य सरकार का आन्तरिक ऋणः** इस शीर्ष के अन्तर्गत खुले बाजार में एकत्रित कर्जों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम आदि से प्राप्त कर्जों से सम्बन्धित लेन-देन अभिलिखित किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ₹ 2,46,76.85 करोड़ के सत्रह बाजार कर्जे (₹ 16,80.00 करोड़ 7.12 *प्रतिशत* ब्याज दर पर, ₹ 10,00.00 करोड़ 6.96 *प्रतिशत* ब्याज दर,पर, ₹ 5,00.00 करोड 7.03 *प्रतिशत* व्याज दर पर,, जिन्हें वर्ष 2040 में चुकाया जाना है, ₹ 10,00.00 करोड 8.06 *प्रतिशत* व्याज दर पर, ₹ 10,00.00 करोड 8.18 *प्रतिशत* व्याज दर पर जिन्हें वर्ष 2037 में चुकाया जाना है, ₹ 10,01.00 करोड़ 7.29 प्रतिशत पर, जिन्हें वर्ष 2034 में चुकाया जाना है, ₹ 20,00.00 करोड़ 7.33 प्रतिशत पर, जिन्हें वर्ष 2031 में चुकाया जाना है, ₹ 14,56.00 करोड़ 7.08 *प्रतिशत* पर, 15,00.00 करोड 7.17 *प्रतिशत* पर, ₹ 15,00.00 करोड 7.19 *प्रतिशत* पर, और ₹ 5,00.00 करोड 6.90 *प्रतिशत* पर, ब्याज दर, जिन्हें वर्ष 2030 में चुकाया जाना है, और ₹ 10,00.00 करोड 7.26 *प्रतिशत* पर, ₹ 10,39.85 करोड 7.24 *प्रतिशत* पर, ₹ 15,00.00 करोड 7.13 *प्रतिशत* पर, ₹ 50,00.00 करोड 7.17 *प्रतिशत* पर, ₹ 10,00.00 करोड 7.06 *प्रतिशत* पर, और ₹ 20,00.00 करोड 7.18 *प्रतिशत* पर, ब्याज पर जिन्हें वर्ष 2029 में चुकाया जाना है) लिए गए। समस्त राशि नगद ली गई। 1967-68 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान परिपक्व कर्जे के प्रति अदा किया कुल भुगतान ₹ 1,41,78.49 करोड़ था। परिपक्व कर्जे के विरूध बकाया ₹2.26 करोड देयता थे।

6- उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी - समाप्त

बकाया बाजार कर्जों के ब्यौरे विवरणी संख्या 17 के अनुबन्ध में दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए कर्जे समस्त न्यूनतम रोकड़ शेषों में कमी से सम्बन्धित समायोजनों और पूर्णतया अस्थायी प्रकार के उधारों, जैसे साधारण और विशेष अर्थोपाय पेशगियां और बैंक ओवर ड्राफ्ट को दर्शाते हैं। लेन-देनों के ब्यौरे, विवरणी-2 के अनुबन्ध के नीचे व्याख्यात्मक टिप्पणियों में दिए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार से कर्जे और पेशगियां- भारत सरकार से प्राप्त कर्जों और पेशगियों के ब्यौरे विवरणी संख्या 17 में दिए गए हैं।

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान ब्याज प्रभारों के रूप में राजस्व से पूरी की गई राशि नीचे दिए गए है:-

	2019-20	2018-19	निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)
		(₹ करोड़ में)	
वर्ष के अन्त में सकल ऋण और अन्य दायित्व	**21,55,61.64**	**18,42,15.50**	**3,13,46.14**
(i) सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज-			
(क) लोक ऋण और अल्प बचतों, भविष्य निधियों, आदि पर	1,52,35.86	1,32,82.37	19,53.49
(ख) अन्य दायित्वों पर	3,52.15	2,69.09	83.06
जोड़	**1,55,88.01**	**1,35,51.46**	**20,36.55**
(ii) घटाएं-			
सरकार द्वारा दिए गए कर्जो और पेशगियों पर प्राप्त ब्याज	3,97.62	7,19.58	(-)3,21.96
रोकड शेषों के निवेश पर प्राप्त ब्याज	76.54	91.54	(-)15.00
(iii) ब्याज प्रभारों की निवल राशि	**1,51,13.85**	**1,27,40.34**	**23,73.51**
(iv) राजस्व प्राप्तियों से सकल ब्याज मद (i)की प्रतिशतता	22.97	20.57	2.40
(v) कुल राजस्व प्राप्तियों से निवल ब्याज मद (iii) की प्रतिशतता	22.27	19.34	2.93
(ख) ऋण के कमी या परिहार के लिए विनियोग			
(i) बचत निधियों के अंशदान	..	..	..
(ii) अन्य विनियोग	..	..	..

इसके अतिरिक्त विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से प्राप्त ब्याज के कारण व्याज प्रभारों पर ₹ 14,20.26 करोड. एवं बाजार कर्जों पर प्रीमियम के रूप में ₹ 80.31 करोड एवं ₹ 0.13 करोड ब्याज प्राप्तियों के रूप में समायोजन हुए।

वर्ष के दौरान सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशों तथा अन्य निवेशों से लाभांश के तौर पर ₹ 87.01 करोड़ की प्राप्ति भी हुई।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों की विवरणी

भाग-1 कर्जों तथा अग्रिमों का सारांश ऋणी समूहवार

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2019 को शेष	वर्ष के दौरान सवितरण	वर्ष के दौरान चुकौती	अशोध्य कर्ज तथा अग्रिमों को बटटे खाते डालना	31 मार्च 2020 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि / कमी(2-6)	बकायों में ब्याज भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8
						(₹ करोड़ में)	
शिक्षा,खेल,कला व संस्कृति	0.04	..	..	..	0.04	..	..
जल आपूर्ति,सफाई,आवास एंव शहरी विकास	8,00.22	..	0.02	..	8,00.20	(-)0.02	..
अनुसूवित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग	0.44	..	..	..	0.44	..	..
सामाजिक कल्याण व पोषण	1.45	..	..	..	1.45	..	..
अन्य सामाजिक सेवाऐं	0.59	..	0.03	..	0.56	(-)0.03	..
कृषि व सहायक क्रियाकलाप	10,44.89	2,63.96	31.36	..	12,77.49	2,32.60	..
ग्रामीण विकास	13.98	0.15	0.14	..	13.99	0.01	..
सिंचाई व बाढ नियंत्रण	1,76.31	..	..	..	1,76.31	..	..
उर्जा	64,71.22	1,60.63	52,82.76।	..	13,49.09	(-)51,22.13	..
उद्योग एंव खनिज	28,75.76	8,15.64	9.70	..	36,81.70	8,05.94	..
परिवहन	0.01	..	..	..	0.01	..	..
सामान्य वितिय एंव विपणन संस्थाऐं	12.66	..	..	..	12.66	..	..
राजकीय कर्मचारी	76.11	68.87	68.62	..	76.36	0.25	..
जोड़ -	**1,14,73.68**	**13,09.25**	**53,92.63**	**..**	**73,90.30**	**(-)40,83.38**	**..**

निम्नलिखित ऋण के मामलों को शाश्वत ऋण के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है।

क्रम सं.	ऋणी संस्था	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति आदेश सं.	राशि	ब्याज दर
				(₹ करोड़ में)	

सूचना उपलब्ध नहीं है।

*वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा बिजली कंपनियों के ₹ 51,90.00 करोड उदय बॉंड कर्जों को इक्विटी में परिवर्तित किया गया है।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों की विवरणी - जारी

भाग-2 कर्जों तथा अग्रिमों का सारांशः ऋणी क्षेत्रवार

क्षेत्र	1 अप्रैल 2019 को शेष	वर्ष के दौरान सवितरण	वर्ष के दौरान चुकौती	अशोध्य कर्ज तथा अग्रिमों को बटटे खाते डालना	31 मार्च 2020 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि / कमी(2-6)	बकायों में ब्याज भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8
						(₹ करोड़ में)	
सामान्य सेवाऐं	..	..	..	..	..	..	..
सामाजिक सेवाऐं	8,02.74	..	0.05	..	8,02.69	(-)0.05	..
आथिक सेवाऐं	1,05,94.83	12,40.38	53,23.96	..	65,11.25	(-)40,83.58	..
शासकीय सेवाऐं	76.11	68.37	68.62	..	76.36	0.25	..
जोड़ -	**1,14,73.68**	**13,09.25**	**53,92.63**	**..**	**73,90.30**	**(-)40,83.38**	**..**

टिप्पणियां - ब्यौरे के लिए राज्य सरकारों द्वारा दिए गए कर्जों तथा आग्रिमों के विस्तृत विवरणी 18 का भाग 1 देखें ।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों की विवरणी - समाप्त

भाग-3 ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का सारांश

ऋणी संस्था	31 मार्च 2020 को बकाया राशि			शीघ्रतम अवधी जिसमें बकाया संबंधित है	31 मार्च 2020 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
		ब्याज	जोड़		
1	2	3	4	5	6
				(₹ करोड़ में)	
मध्यम आय वर्ग गृह स्कीम	0.27	..	0.27	1990-91	4.60
निम्न आय वर्ग गृह स्कीम	1.07	..	1.07	1990-91	27.59
ग्रामीण गृह स्कीम	0.92	..	0.92	1990-91	23.08
जोड़ -	**2.26**	**..**	**2.26**	**..**	**55.27**

टिप्पणियां - ब्यौरे के लिए राज्य सरकारों द्वारा दिए गए कर्जों तथा आग्रिमों के विस्तृत विवरणी 18 का भाग 2 देखें ।

8. सरकार के निवेशों की विवरणी

विभिन्न प्रतिष्ठानों में शेयर पूंजी तथा डिबेंचर में वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश

(₹ करोड़ में)

प्रतिष्ठानों के नाम	2019-20			2018-19		
	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज
1. सांविधिक निगम	2	2,04.93	3.52	2	2,04.93	2.15
2. ग्रामीण बैंक	4	0.53	..	4	0.53	..
3. सरकारी कम्पनियां	31	3,58,83.69	83.41	31	2,97,05.56	53.60
4. अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियां और साझेदारियां	31	1.75	..	31	1.75	..
5. सहकारिता संस्थान एवं स्थानीय निकाय	42	8,32.02*	0.08	42	8,35.14	0.85
जोड़-	**110**	**3,69,22.92**	**87.01**	**110**	**3,07,47.91**	**56.60**

* वर्ष के दौरान निवेश से, ₹ 54.01 करोड निवृत्त किए गए हैं।

9. सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विवरणी

गारंटियो का क्षेत्रवार विवरण -

क्षेत्र(गारंटियों की संख्या कोष्ठक में है)	वर्ष के दौरान अधिकतम गारंटीशुदा राशि	वर्ष 2019-20 के आरम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन(प्रदत्त गारंटियों को छोडकर)	वर्ष के दौरान प्रदत्त		वर्ष 2019-20 के अन्त में बकाया	गारंटी कमीशन अवथा शुल्क		अन्य सामग्री विवरण
					उन्मोचित	**उन्मोचित न की गई**		**प्राप्य**	**प्राप्त**	
								(₹ करोड़ में)		
विधुत (22)	46,27.42	32,21.26	14,06.16	9,44.78	..	..	36,82.64	28.00	28.00	..
सहकारिता (1)	6,29.35	6,29.35	..	2,00.40	..	..	4,28.95	4.21	..	..
शहरी विकास एवं हाउसिंग (14)	1,36,89.29	1,07,74.29	29,15.00	5,55.93	..	..	1,31,33.36	72.62	70.27	..
अन्य ढांचा (15)	36,14.43	35,94.97	19.46	1,21.75	..	..	34,92.68	25.97	0.47	..
जोड़ -	**2,25,60.49**	**1,82,19.87**	**43,40.62**	**18,22.85**	..	..	**2,07,37.63**	**1,30.80**	**98.74**	**..**

स्त्रोत: (i) राज्य सरकार, वित विभाग से प्राप्त सूचना ।.

10. राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी

अनुदान ग्राटी का नाम /श्रेणी	सहायता अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियॉ			कुल निधियों में से पूंजीगत सम्पतियों के सृजन के लिए आवंटित निधियॉ		
1	2			3		
	राज्य निधि व्यय	आयोजना- भिन्न	जोड़	राज्य निधि व्यय	आयोजना-भिन्न	जोड़
				(₹ करोड़ में)		
1. पंचायती राज संस्थान						
(i) जिला परिषद	19,99.62	10,98.50	30,98.12	19,03.59	10,87.27	29,90.86
(ii) पंचायत समीतियां	..	..	..	..	..	..
(iii) ग्राम पंचायत	..	..	..	..	..	..
2. शहरी स्थानीय निकाय						
(i) नगर निगम	..	..	..	..	..	..
(ii) नगर परिषद	11,95.01	10,84.45	22,79.46	6,49.83	7,37.11	13,86.94
(iii) अन्य	..	..	..	..	..	..
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम						
(i) राजकीय कम्पनियाँ	..	..	..	..	..	..
(ii) संवैधानिक निगम	13,29.84	4,15.24	17,45.08	16.00	..	16.00
4. स्वायत निकाय						
(i) विश्वविद्यालय निकाय	21,28.95	3,67.69	24,96.64	1,49.99	23.38	1,73.37
(ii) विकास प्राधिकारण	6,50.83	1,62.05	8,12.88	1,20.00	36.00	1,56.00
(iii) सहकारी संस्थाएँ	..	..	..	..	..	..
(iv) अन्य	8,18.32	86.85	9,05.17	1,40.11	..	1,40.11
जोड़ -	**81,22.57**	**32,14.78**	**1,13,37.35**	**29,79.52**	18,83.76	**48,63.28**

10. राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी - समाप्त

ग्रांटी नाम/श्रेणी		पण्य सहायता अनुदान का कुल मूल्य	पूंजी परिसंपत्ति स्वरूप की पण्य में सहायता अनुदान का मूल्य
1		2	3
		(₹ करोड़ में)	
(i)	अन्य निकाय	50.06	..
	जोड़ -	**50.06**	..

11.प्रभारित और दत्तमत व्यय की विवरणी

वास्तविक आंकड़े						(₹ करोड़ में)
	2019-20			2018-19		
ब्यौरे	**प्रभारित**	**दत्तमत**	**जोड़**	**प्रभारित**	**दत्तमत**	**जोड़**
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	1,57,88.94	6,90,59.27	8,48,48.21	1,37,35.87	6,34,19.67	7,71,55.54
व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	1,24.21	1,75,41.72	1,76,65.93	1,38.58	1,51,68.02	1,53,06.60
लोक ऋण के अन्तर्गत संवितरण (क)	1,57,75.51	..	1,57,75.51	1,71,83.87	..	1,71,83.87
कर्जे तथा पेशगियाँ (क)	..	13,09.25	13,09.25	..	7,55.64	7,55.64
आकस्मिक निधि से विनियोजन	..	..	..	..	..	..
जोड़ -	**3,16,88.66**	**8,79,10.24**	**11,95,98.90**	**3,10,58.32**	**7,93,43.33**	**11,04,01.65**
(क) आंकड़े निम्न प्रकार से निकाले गए हैं:-						
ड़ - लोक ऋण--						
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	1,55,11.63	..	1,55,11.63	1,69,84.71	..	1,69,84.71
केन्द्रीय सरकार से कर्जे और पेशगियां	2,63.88	..	2,63.88	1,99.16	..	1,99.16
जोड़ -	**1,57,75.51**	**..**	**1,57,75.51**	**1,71,83.87**	**..**	**1,71,83.87**
च. कर्जे तथा पेशगियों *						
सामान्य सेवायों के लिए कर्जे	..	..	..	..	..	..
सामाजिक सेवायों के लिए कर्जे	..	..	..	..	..	..
आर्थिक सेवायों के लिए कर्जे	..	12,40.38	12,40.38	..	7,00.83	7,00.83
सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्जे आदि	..	68.87	68.87	..	54.81	54.81
जोड़ - कर्जे तथा पेशगियां	**..**	**13,09.25**	**13,09.25**	**..**	**7,55.64**	**7,55.64**

*अधिक ब्यौरे, खण्ड-II की विवरणी संख्या 18 में दिये गये हैं।

(i)वर्ष 2018-19 व 2017-18 के दौरान प्रभारित व्यय व दत्तमत व्यय की कुल व्यय से प्रतिशतता निम्न प्रकार रही:-

वर्ष	प्रभारित	दत्तमत
2019-20	26.50	73.50
2018-19	28.13	71.87

12. राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के उपयोग की विवरणी

विवरण	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष 2019-20 के दौरान	31 मार्च 2020 को
		(₹ करोड़ में)	
पूंजीगत और अन्य व्यय--			
पूंजीगत व्यय (उप वर्ग अनुसार)			
सामान्य सेवाएं	44,93.93	5,86.16	50,80.09
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	23,08.49	3,88.28	26,96.77
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	15,20.04	5,10.17	20,30.21
जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	1,86,31.85	21,52.86	2,07,84.71
सूचना एवं प्रसारण	72.59	40.30	1,12.89
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य	65.88	2.50	68.38
सामाजिक कल्याण और पोषाहार	5,38.84	22.08	5,60.92
अन्य सामाजिक सेवाएं	11,97.43	1,17.37	**13,14.03** (क)
कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	60,67.24	44,77.27	**1,04,91.36** (ख)
ग्रामीण विकास	3.86	28.59	32.45
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,61,91.82	14,00.82	1,75,92.64
ऊर्जा	2,29,76.38	58,29.63	2,88,06.01
उद्योग और खनिज	3,73.10	13.21	3,86.22(ग)
परिवहन	1,91,01.72	18,19.45	2,09,21.17
अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान	14.00	11.50	25.50
सामान्य आर्थिक सेवायें	10,59.31	2,65.74	13,25.05
जोड़-	**9,46,16.48**	**1,76,65.93**	**11,22,28.40** (घ)

(क) ₹ 0.77 करोड़, (ख) ₹ 53.15 करोड़, (ग) ₹ 0.09 करोड़ **(घ)** ₹ 54.01क्रमशः प्राफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/निवृत्ति के कारण थी ।

12. राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के उपयोग की विवरणी - जारी

विवरण	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष 2019-20 के दौरान	31 मार्च 2020 को
		(₹ करोड़ में)	
कर्जे और पेशगियां--			
विभिन्न सेवाओं के लिए कर्जे और पेशगियां--			
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	0.04	..	0.04
जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	8,00.22	(-)0.02	8,00.20
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य	0.44	..	0.44
सामाजिक कल्याण और पोषाहार	1.45	..	1.45
अन्य	0.59	(-)0.03	0.56
कृषि तथा संबंधित क्रिया कलाप	10,44.89	2,32.60	12,77.49
ग्रामीण विकास	13.98	0.01	13.99
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,76.31	..	1,76.31
ऊर्जा	64,71.22	(-)51,22.13	13,49.09
उद्योग और खनिज	28,75.76	8,05.94	36,81.70
परिवहन	0.01	..	0.01
सामान्य आर्थिक सेवाएं	12.66	..	12.66
सरकारी कर्मचारियों को कर्जे	76.11	0.25	76.36
जोड़-- कर्जे और पेशगियां	**1,14,73.68**	**(-)40,83.38**	**73,90.30**
आकस्मिकता निधि को विनियोजन	**2,00.00**	**..**	**2,00.00**
जोड़-- पूंजी और अन्य व्यय	**10,62,90.16**	**1,35,82.55**	**11,98,18.70** (क)
घटाएं-			
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	2,28.15	54.01	2,82.16
निवल पूंजी और अन्य व्यय	**10,60,62.01**	**1,35,28.54**	**11,95,36.54**(क)

(क) ₹ 54.01 करोड़ प्राफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/निवृत्ति के कारण थी ।

12. राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के उपयोग की विवरणी - समाप्त

विवरण	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष 2019-20 के दौरान	31 मार्च 2020 को
निधियों के प्रमुख स्त्रोत--			
2018-19 में राजस्व आधिक्य (+)/ घाटा (-)/अधिशेष	(-)7,84,44.65	(-)1,69,90.08	(-)9,54,34.73
जमा-सेवानिवृत्ति/विनिवेश का समायोजन (क)	(-)2,28.15	..	(-)2,82.16
ऋण--			
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	15,49,67.80	2,88,17.80	18,37,85.60
केन्द्रीय सरकार से कर्जे और पेशगियां	18,66.94	(-)1,61.49	17,05.45
अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	1,57,15.23	12,47.23	1,69,62.46
जोड़	**17,25,49.97**	**2,99,03.54**	**20,24,53.51**
निधियों के प्रमुख स्त्रोत--			
अन्य दायित्व			
आकस्मिकता निधि	2,00.00	..	2,00.00
जमा और पेशिगयां	84,03.81	(-)4,82.75	79,21.06
विकास निधि, आरक्षित निधि, आदि से अंशदान	63,15.60	21,78.75	84,94.35
उचन्त और विविध (सरकारी लेखे में पड़ी राशि और	(-)61.14	(-)12.30	(-)73.44
प्रेषण	3,27.48	(-)53.74	2,73.74
जोड़ अन्य दायित्व	**1,51,85.75**	**16,29.96**	**1,68,15.71**
जोड़-- ऋण और अन्य दायित्व	**18,77,35.72**	**3,15,33.50**	**21,92,69.22**
घटाएं-- रोकड़ शेष	**(-)7,94.56**	**(-)8,49.83**	**(-)16,44.39**
घटाएं-- निवेश	**37,76.20**	**18,64.71**	**56,40.91**
जोड़ें - 2019-20 के दौरान बंद लेखों की राशि	**19.27**	**..**	**19.27**
निधियों का निवल प्रावधान	**10,60,62.01**	**1,35,28.54**	**11,95,36.54(ख)**

(क) विवरणी के संतुलन हेतू इस पंक्ति में राशि सम्मिलित की गयी है ।

(ख) ₹ 11,95,90.55 करोड़ (₹10,60,62.01 करोड़ जमा ₹ 1,35,28.54 करोड़) से पूंजीगत विनिवेश/ निवृत्ति के समायोजन के कारण ₹ 54.01 करोड़ भिन्न है ।

13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक-लेखे के अन्तर्गत शेषों का सारांश

31 मार्च 2020 को शेषों का सारांश नीचे दिया गया है

नामें (डेबिट) शेष	सामान्य लेखे का क्षेत्र	लेखे का नाम	जमा(क्रेडिट) शेष
(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)
20,78,82.40	क से घ, छ तथा ठ सैक्टर का भाग	**समेकित निधि**	
		सरकारी लेखा	
	ड़	लोक ऋण	18,54,91.05
73,90.30	च	कर्जे तथा अग्रिम	
		आकस्मिकता निधि	
		आकस्मिकता निधि-	2,00.00
		लोक लेखा	
	झ	अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आदि	1,69,62.46
		भविष्य निधियां	
		अन्य लेखे	
	ण	आरक्षित निधियां	
		(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	49,62.36
		सकल शेष	
		(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित	35,31.99
		निधियां-	
		सकल शेष	
33,08.04		निवेश	
		जमा और पेशगियां	
		(क) ब्याज वाले जमा	4,21.76
		(ख) बिना ब्याज वाले जमा	75,00.04

13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक-लेखे के अर्न्तगत शेषों का सारांश - जारी

31 मार्च 2020 को शेषों का सारांश नीचे दिया गया है

नामें (डेबिट) शेष	सामान्य लेखे का क्षेत्र	लेखे का नाम	जमा(क्रेडिट) शेष
(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)
		लोक लेखा-समाप्त	
0.74		(ग) अग्रिम	
	ठ	उचन्त और विविध	
70.49		उचन्त	
2.89		अन्य मदें	
23,32.87		निवेश	
0.06		विदेशी सरकारों के साथ लेखे	
..	ड	प्रेषण	2,73.74
.		धनादेश तथा अन्य प्रेषण	
..		अन्तर-सरकारी समायोजन लेखे	
(-)16,44.39	ढ	रोकड़ शेष (अन्त)	
21,93,43.40		**जोड़**	**21,93,43.40**

टिप्पणी- भारतीय रिजर्व बैंक जमा जो कि सरकार के नकद शेष का भाग है के संबंध में लेखों में दर्शित आकडों एवं भारतीय रिजर्व बैंक सूचित आकडों में अन्तर है । विवरण के लिए विवरणी -2 के अनुबन्ध ,पृष्ठ-7 का संदर्भ ले

13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक-लेखे के अर्न्तगत शेषों का सारांश-जारी

व्याख्यात्मक टिप्पणीयाँ

1. शीर्ष "सरकारी लेखा" का महत्व नीचे स्पष्ट किया गया है :-

सरकारी लेखाओं में अनुसरित बही खाता पद्धति के अन्तर्गत राजस्व, पूंजीगत शीर्षों के अधीन लेखांकित राशियों और सरकार के लेन-देन जिनके शेष वर्षानुवर्ष आगे नहीं ले जाए जाते हैं, एक ही शीर्ष जिसे "सरकारी लेखा" कहा जाता है, को संवृत (कलोज) किए जाते हैं । इस शीर्ष के अधीन शेष ऐसे समस्त लेन-देनों के संचयी परिणाम को दर्शाता है ताकि उसमें लोक ऋण, कर्जे तथा अग्रिम, अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि, आरक्षित निधियां, जमा तथा अग्रिम, उचन्त और विविध (विविध सरकारी लेखे से अलग) प्रेषणों और आकस्मिकता निधि के अधीन शेषों को जोड़ने के बाद वर्ष के अन्त में अन्तिम रोकड़ शेष निकाला तथा सत्यापित किया जा सके ।

2019-20 के निम्नलिखित सरकारी लेखे से यह ज्ञात होता है कि वर्ष के अन्त में निवल राशि किस प्रकार निकाली गई है :-

नामें (डेबिट)	ब्यौरे	जमा(क्रेडिट)
(**₹ करोड़** में)		(**₹ करोड़** में)
17,32,80.40	(क) पहली अप्रैल 2018 को सरकारी लेखे के नामें में शेष	
	(ख) राजस्व प्राप्तियां	6,78,58.13
8,48,48.21	(ग) राजस्व लेखे पर व्यय	
1,76,65.93	(घ) पूंजीगत लेखे पर व्यय	
	(ड़) पूंजीगत लेखे पर प्राप्तियॉ	54.01
..	(च) विविध सरकारी लेखे	
	(छ) 31 मार्च 2020 को सरकारी लेखे के नामें में शेष	20,78,82.40
27,57,94.54	**जोड़**	**27,57,94.54**

13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक-लेखे के अर्न्तगत शेषों का सारांश- समाप्त

2. इस सारांश में अन्य शीर्षों के अन्तर्गत सरकारी पुस्तकों के सभी लेखा शीर्षों के शेष शामिल किए गए हैं जिनमें सरकार पर प्राप्त किए गए धन को वापिस करने का दायित्व होता है या सरकार अदा की गई रकम वसूल करने का अधिकार रखती है और इसके साथ ही लेखों के वे शीर्ष भी शामिल हैं जो प्रेषण से संबंधित लेन-देन के समायोजन के लिए पुस्तकों में खोले जाते हैं । यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि इन शीर्षों को हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा अभिलेख नहीं माना जा सकता क्योंकि इनके अन्तर्गत राज्य की समस्त भौतिक परिसम्पत्तियों जैसे भूमि-भवन, संचार साधन आदि को शामिल नहीं किया जाता और न ही इसमें ऐसी उपचित प्राप्यताओं (एक्रूद-डयूज) या बकाया देयताओं (आउटस्टेंडिग लाईबिलटीज) को शामिल किया जाता है जिन्हें सरकार द्वारा अनुसरित रोकड़ पद्धति के अन्तर्गत लेखे में नहीं लिया जाता ।

3. आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से सम्बन्धित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों, संवितरणों और शेषों का सारांश विवरणी संख्या 21 में दिया गया है। बहुत से मामलों में, जो विवरणी संख्या 21 में अंकित हैं, उस विवरणी में दर्शाए गए अन्त शेष तथा लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालयों में इस प्रयोजन के लिए रखे गए पृथक रजिस्टरों या अन्य अभिलेखों में दिखाए गए अन्त शेषों के बीच ऐसे अन्तर हैं जिनका समाधान नहीं किया गया। त्रुटियों का यथाशीघ्र समाधान करने के लिए अपेक्षित ब्यौरे तथा प्रलेख एकत्रित करने के उपाय किए जा रहे हैं ।

4. शेषों को उनकी स्वीकृति के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को प्रति वर्ष सूचित किया जाता है । बहुत से मामलों में ऐसी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई हैं। बहुत से मामलों में कई वर्षों का विलम्ब हुआ है कुछ उदाहरण जिनमें शेषों की बड़ी राशियों के सत्यापन और स्वीकृति में देर हुई है, परिशिष्ट-VII में दर्शाए गए हैं ।

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश

(i) विद्यमानता तथा लेखा अवधि

वित्त लेखे 2019-20, हरियाणा सरकार के 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की समयावधि के लेन-देन को दर्शाते हैं। हरियाणा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों का संकलन 24 कोषालयों, 116 लोक निर्माण मंडलों, 86 सिंचाई मंडलों एवं 41 वन मण्डलों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के आधार पर किया गया है । लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों से लेखाओं की प्राप्ति संतोषजनक है एवं वर्ष के अन्त में कोई भी लेखा नहीं छोड़ा गया है।

(ii) लेखों का आधार

आवधिक एवं पुस्तकीय समायोजनों (**अनुबंध क**) के कुछ अपवादों को छोडकर, लेखे चालू वर्ष के दौरान वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करते हैं। भौतिक संपत्तियॉ एवं वित्तीय संपत्तियॉ जैसे- सरकारी निवेश इत्यादि, मूल लागत जैसे - अधिग्रहण/ खरीद के समय की कीमत के अनुसार दिखाए जाते हैं । भौतिक सम्पत्तियों का अवमूल्यन नहीं किया जाता और न ही उसकी व्यवस्था की जाती है। भौतिक सम्पत्तियों के अन्त पर उनकी हानि का मूल्यांकन नहीं किया गया और न ही मान्य है ।

लेखा अवधि के दौरान संवितरण किए गए सेवानिवृत्ति लाभों की देयताएं लेखों में दिखाई गई हैं हालांकि, सरकार के पेंशन दायित्व जैसे कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पिछली सेवा के सेवानिवृत्ति लाभों के दायित्व लेखों में नहीं लिए/दिखाए गए।

(iii) मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते हैं

हरियाणा सरकार के लेखे भारतीय रूपयों में रखे जाते हैं।

(iv) लेखों का प्रारूप

संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत, संघ तथा राज्य के लेखे ऐसे प्रारूप में रखे जाते है, जैसा कि राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह से निर्धारित करे। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द 'प्रारूप' का विस्तृत अर्थ है, जिसमें लेखों को रखने के विस्तृत रूप को ही न केवल निर्धारित करना है बल्कि लेन देनों को वर्गीकृत करने के लिए सही खाता शीर्षों के चुनाव करने का आधार भी शामिल है।

(v) राजस्व तथा पूंजीगत के अन्तर्गत वर्गीकरण

राजस्व व्यय आवर्ति प्रकृति का व राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाने वाला होता है । पूंजीगत व्यय स्थाई परिसंपत्तियों में वृद्धि अथवा आवर्ति दायित्वों को घटाये जाने के उदेश्य हेतु करना होता है। राजस्व और पूंजीगत व्यय के मध्य वर्गीकरण की कोई त्रुटि नहीं है।

(vi) लेखांकन मानक

भारत सरकार द्वारा तीन लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस) अधिसूचित किए गए हैं जैसे (i) सरकार द्वारा प्रदत्त ग्रारंटियां : प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं (ii) सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण (iii) सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम। लेखांकन मानक आई.जी.ए.एस - 1 तथा आई.जी.ए.एस - 2 का पालन किया जा रहा है परन्तु आई.जी.ए.एस - 3 का पालन नहीं किया जा रहा क्योंकि ऋणों/ब्याज की संबंधित जानकारी ऋणी संस्थाओं से बकाया राशि आदि प्रदान नहीं की जा रही है।

2. लेखों की गुणवत्ता

(i) वस्तु एवं सेवा कर

वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य का जी.एस.टी. संग्रहण, 2018-19 (₹18,612.72 करोड़) की तुलना में ₹260.23 करोड़ (1.40 *प्रतिशत*) ₹18,872.95 करोड़ हो गया। इसमें एकीकृत वस्तु सेवाकर (आई. जी.एस.टी.) के अग्रिम बाअंटन की ₹627.94 करोड़ की राशि भी शामिल है। इसके अतिरिक्त चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य को केंद्रीय वस्तु व सेवा कर के राज्य को समनुदेशित निवल प्राप्तियों के अपने हिस्से के रूप में ₹2,018.07 करोड़ मिले, जबकि एकीकृत वस्तु व सेवाकर के तहत ऐसा कोई हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ। वस्तु व सेवाकर के रूप में कुल प्राप्तियां ₹20,891.02 करोड़ थीं। राज्य को 2019-20 के दौरान, जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण हुए राजस्व के नुकसान के रूप में ₹5,453.43 करोड़ का मुआवजा मिला।

(ii) लघु शीर्ष- 800 के अंतर्गत अन्य प्राप्तियां और अन्य व्यय

लघु शीर्ष 800- अन्य प्राप्तियाँ/अन्य व्यय, तभी परिचालित किया जाना चाहिए जब लेखों में समुचित लघु शीर्ष उपलब्ध न हो । लघु शीर्ष-800 का नियमित परिचालन हत्तोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है । वर्ष के दौरान, विभिन्न राजस्व एवं पूंजीगत शीर्षो के अन्तर्गत, ₹10,501.79 करोड़ का व्यय जो कि कुल व्यय ₹ 1,02,514.14 करोड़ का लगभग 10.24 *प्रतिशत* है, संबंधित मुख्य शीर्षो के नीचे लघु शीर्ष 800 में दर्ज किया गया । प्रकरण, जहाँ व्यय का अधिकांश भाग (60 *प्रतिशत* व अधिक), लघु-शीर्ष 800 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया, **अनुबंध-ख** में दिए गए है। यह 2019-20 के बजट दस्तावेजों की जांच के समय और फिर प्रवेश और निकास सम्मेलन के दौरान भी बताया गया था। यहां तक कि लघु शीर्ष-800 के तहत पर्याप्त बुकिंग से बचने के लिए राज्य प्राधिकरणों के साथ विशेष बैठकें भी की गईं।

iii) असमायोजित सार आकस्मिकता (ए0सी0) बिल

आहरण एवं संवितरण अधिकारी को धन की अग्रिम आवश्यकता होने अथवा आवश्यक राशि की सही गणना संभव नहीं होने पर, सेवा शीर्ष को नामे करते हुए, संबंधित प्रपत्र संलग्न किए बिना, सार आकस्मिकता बिल प्रस्तुत करके, राशि आहरित करने की अनुमति है तथा व्यय को सेवा शीर्ष के अंतर्गत खर्च के रूप में दर्शाया जाता है ।

विस्तृत आकस्मिकता बिल (डी सी बिल) संबंधित प्रपत्रों के साथ एक माह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) को प्रस्तुत करने तक इन राशियों को आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है। डी सी बिलों का देरी से प्रस्तुत करना अथवा लम्बी अवधि तक प्रस्तुत न करना लेखाओं की पूर्णता एवं सत्यता को प्रभावित करता है।

31 मार्च 2020 तक लम्बित तथा आपत्ति के अंतर्गत रखे गए सार आकस्मिक्ता बिलों का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	लम्बित डी सी बिलो की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2017-18 तक	03	1.36
2018-19	90	17.66
2019-20	552	667.66
जोड़	**645**	**686.68**

*आंकडे 30 जून 2020 तक अपडेट किए गए हैं।

31 मार्च 2020 तक लंबित डी. सी. बिलों की 97.17 *प्रतिशत* राशि, चार विभागों : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (68.20 *प्रतिशत* - ₹ 468.30 करोड़ के 8 डी सी बिल), परिवहन विभाग (18.89 *प्रतिशत* - ₹129.72 करोड़ के 218 डी सी बिल), स्वास्थ्य विभाग (6.67 *प्रतिशत* - ₹ 45.78 करोड़ के 10डी सी बिल) तथा सामान्य शिक्षा विभाग (3.41 *प्रतिशत* - ₹ 23.45 करोड़ के 305 डी सी बिल) से संबंधित है।

(iv) वैयक्तिक जमा खातों को धन का हस्तान्तरण

पंजाब वित्तीय नियम, खण्ड-1 (जो कि हरियाणा राज्य में लागू है) के पैरा 12.16 तथा 12.17 के अनुसार, राज्य सरकार, प्रधान महालेखाकार के अनुमोदन से विशिष्ट प्रयोजनों हेतु आवश्यक धन राशि जमा करने के लिए समेकित निधि या अन्यथा से धन हस्तान्तरण द्वारा वैयक्तिक जमा खाते खोलने के लिए प्राधिकृत है । वास्तविक नकदी प्रवाह के बिना वैयक्तिक जमा खातों को धन का हस्तान्तरण समेकित निधि के संबंधित सेवा मुख्य शीर्ष में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। सामान्यतः यह खाते, वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को अव्ययित शेष को समेकित निधि में वापिस हस्तांतरित/जमा करके बन्द किये जाने चाहिए। वैयक्तिक जमा खाते आवश्यकता होने पर अगले वर्ष पुनः खोले जा सकते है । 31 मार्च 2020 तक समेकित निधि से धन के हस्तान्तरण द्वारा खोले गए वैयक्तिक खातों की संख्या केवल दो थी । इसके अलावा उपरोक्त नियमों के नियम 12.7 के अनुसार समेकित निधि के अतिरिक्त धनराशि के हस्तान्तरण द्वारा खोले गए वैयक्तिक जमा खातों की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जानी चाहिए तथा तीन पूर्ण लेखा वर्षों से अधिक अवधि तक निष्क्रिय रहने वाले खातों को बन्द कर दिया जाना चाहिए तथा इन खातों मे पड़ी शेष राशि को सरकारी खातों में जमा कर दिया जाना चाहिए। वैयक्तिक जमा खातों की ब्राडशीट के अनुसार, 31 मार्च 2020 को खुले रहे वैयक्तिक जमा खातों की स्थिति अगले पृष्ठ पर दी गई है -

वैयक्तिक जमा खाता	आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान निकासी		अंतिम शेष	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
समेकित निधि	1	1,018.44	1	107.94	..	814.66*	2	311.72
समेकित निधि के अतिरिक्त	142	308.46	10	28.65	..	37.94*	152**	299.17
जोड़	**143**	**1,326.90**	**11**	**136.59**	**..**	**852.60***	**154**	**610.89**

* वर्ष के दौरान कोई वैयक्तिगत खाता बंद नहीं किया गया। यह राशि, वर्ष के दौरान, सक्रिय वैयक्तिगत खातों में दर्ज माइनस ज्ञापनों के लेन देन को दर्शाती है।

** ₹ 19.38 करोड़ के 15 वैयक्तिगत खाते, (₹ 0.35 करोड़ के 5 खाते तीन वर्ष से ज्यादा समय से, ₹ 0.62 करोड़ के 6 खाते 2 वर्ष से ज्यादा समय से तथा ₹ 18.41 करोड के 4 खाते एक वर्ष से ज्यादा समय से) निष्क्रिय हैं।

वैयक्तिगत खातों में पडे अव्ययित शेषों का समय के अनुसार ब्यौरा इस प्रकार है :-

(क) वर्ष 2019-20 के दौरान, 32 वैयक्तिगत खातों में, ₹ 716.01 करोड की निवल कमी हुई।

(ख) ₹ 52.36 करोड की राशि, एक वर्ष से कम समय से अव्ययित पडी है।

(ग) ₹ 336.01 करोड की राशि, एक वर्ष से ज्यादा समय से तथा दो वर्ष से कम समय से अव्ययित है।

(घ) ₹40.99 करोड की राशि, दो वर्ष से ज्यादा समय से तथा तीन वर्ष से कम समय से अव्ययित है।

(ड) ₹ 181.53 करोड की राशि, तीन वर्ष से ज्यादा समय से अव्ययित है।

तीन वर्ष से ज्यादा समय से निष्क्रिय पडे, पांच वैयक्तिगत खाते, राज्य सरकार द्वारा, नियमों के विचलन में बंद नहीं किए गए।

(v) मुख्य नियंत्रण अधिकारियों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के मध्य व्यय एवं प्राप्तियों का मिलान

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण, उसे बजट अनुदान के भीतर रखने एवं अपने लेखों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, सभी मुख्य नियंत्रण अधिकारियों/ नियंत्रण अधिकारियों को, अपने रिकार्ड में दर्ज व्यय एवं प्राप्तियों का मिलान प्रत्येक मास प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा दर्ज आकड़ों से करना अपेक्षित है। समेकित निधि के अन्तर्गत प्राप्तियों एवं व्यय का यह मिलान *शत प्रतिशत* किया जा चुका है । साइबर खजानों के अंतर्गत आने वाली प्राप्तियों का मिलान कर लिया गया है।

(vi) राज्य का रोकड़ शेष

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखों अनुसार वर्ष 2019-20 तक राज्य सरकार का रोकड़ शेष ₹1,644.93 करोड़ था हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे ₹1,667.08 करोड़ सूचित किया था। इस तरह, वर्ष 2019-20 तक ₹ 22.15 करोड़ के अंतर का मिलान अभी बाकी था। यह अंतर मुख्यतः, एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन के कारण है तथा रोकड़ शेष का भारतीय रिजर्व बैंक से मिलान करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

2013-14 से रोकड़ शेष के अंतर को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

वर्ष	लेखों के अनुसार रोकड़ शेष	भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार रोकड शेष	अन्तर
2013-14 तक	0.57	3.04	2.47
2014-15	0.01	..	(-)0.01
2015-16	..	..	..
2016-17	..	..	..
2017-18	..	..	..
2018-19	..	0.88	0.88
2019-20	76.21	95.02	18.81
जोड़	**76.79**	**98.94**	**22.15**

अक्तूबर 1987 से पहले की अवधि से संबंधित ₹0.50 करोड़ की राशि हरियाणा सरकार द्वारा भट्टे - खाते में डाली गई। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा द्वारा मिलान के लिए किए गए प्रयासों के कारण वर्ष 2018-19 से संबंधित ₹7.22 करोड़ (नामे) तथा ₹7.95 करोड़ (जमा) की राशि का मिलान तथा समायोजन 2019-20 के दौरान किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक/बैंकों द्वारा राज्य के खाते में वर्ष के दौरान कोई दंडात्मक ब्याज के दावों की राशि को जमा नही किया गया था, हालांकि 2016-17 से 2018-19 की अवधि में ₹ 4.57 करोड़ की राशि का दावा एजेंसी बैंकों के खिलाफ तैयार करके उठाए जाने के लिए संसाधित किया गया था। वर्ष 2018-19 के लिए चंडीगढ़ में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण करते समय इस पैरा जिसका शीर्षक "सरकारी प्राप्तियों तथा अदायगियों को बिलम्ब से जारी करने के कारण ₹ 4.57 करोड़ का दंडित ब्याज दावा" है, जारी किया गया था। परंतु, भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारियों द्वारा यह कहा गया कि लेन देन स्तर के डेटा (लेन-देन की वास्तविक तिथि, भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करने की तारीख आदि) बैंकों द्वारा सीधे ट्रेजरी कार्यालयों को सूचित किए जाते हैं, विलंबित डेटा के प्रकरण/मात्रा भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक को एजेंसी बैंकों से केवल राज्य सरकार के लेन-देन की समेकित रिपोर्ट मिलती है और इस प्रकार, वह देरी का पता लगाने या राज्य सरकारों से प्राप्त दंड ब्याज दावों को प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित प्रमुख विसंगतियां पाई गईं :

क) विसंगतिपूर्ण मदों का निपटान न करना

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा के रिकार्ड के अनुसार, फरवरी 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक के साथ राज्य सरकार का रोकड़ शेष ₹732.65 करोड़ (जमा) था, जब कि भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार यह ₹279.74 करोड़ नामे था। इस प्रकार, दोनों के बीच ₹452.91 करोड़ (332 विसंगति पूर्ण मदों को जोड़कर) का अंतर था, जिसका निपटान अभी किया जाना था।

ख) ₹7.11 करोड़ के दंडित ब्याज दावों का निपटान न करना

एजेंसी बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ₹7.11 करोड़ को दंडित ब्याज दावों का निपटान नहीं किया गया है। विवरण निम्न प्रकार हैः

क्र. सं.	दंडित ब्याज दावे का विवरण	राशि(करोड़ में)
1.	बिलम्बित प्रेषण/गलत भुगतान के कारण दंडित ब्याज दावे	4.57
2.	पंजाब सरकार की बजाय हरियाणा सरकार से गलत काटी राशि पर दंडित ब्याज	1.27
3.	हरियाणा सरकार से गलत काटी राशि उल्ट करने के कारण दंडित ब्याज दावे	1.27
	जोड़	**7.11**

ग) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा हरियाणा के महानिदेशक, ट्रेजरी और लेखा द्वारा उठाए गए दावे का गैर-निपटान

महानिदेशक, खजाना एवं लेखा, हरियाणा ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 2015-16 में गलत भुगतान करने के लिए देरी की अवधि के लिए ब्याज हेतु ₹1.15 करोड़ का दावा किया है जिनका निपटान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अभी तक नहीं किया गया है।

(vii) प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र

पंजाब वित्तीय नियम, खण्ड-1 (जो कि हरियाणा राज्य में लागू है) के नियम 8.14 के अनुसार, जहॉ सहायता अनुदान विशिष्ट प्रयोजनों के लिए स्वीकृत किए जाते हैं, संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित अवधि के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत करना चाहिए। निर्धारित अवधि के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्रों का लम्बित रहना नियत उद्देश्यों के लिए अनुदान के उपयोग पर आश्वाशन की अनुपिस्थति की ओर इंगित करता है तथा लेखों में दर्ज व्यय को उस सीमा तक अंतिम नहीं माना जा सकता। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों के अनुसार, लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष *	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि(करोड़ में)
2017-18 तक	860	3,852.15
2018-19	511	2,184.13
2019-20	633	4,561.30
जोड़	**2,004**	**10,597.58**

*आंकडे 31 अगस्त 2020 तक अपडेट किए गए हैं। (*वर्णित वर्ष देय वर्ष अर्थात वास्तविक आहरण से 12 माह बाद से सम्बधित है)

31 मार्च 2020 तक प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की 91.06 *प्रतिशत* राशि, चार विभागों : शहरी विकास विभाग (49.74 *प्रतिशत* - ₹5,271.20 करोड़ के 625 उपयोगिता प्रमाण पत्र), ग्रामीण विकास विभाग (32.98 *प्रतिशत* - ₹3,495.22 करोड़ के 933 उपयोगिता प्रमाण पत्र), स्वास्थ्य विभाग (5.86 *प्रतिशत* - ₹620.50 करोड़ के 42 उपयोगिता प्रमाण पत्र) तथा सामान्य शिक्षा विभाग (2.48 *प्रतिशत* - ₹263.26 करोड़ के 70 उपयोगिता प्रमाण पत्र) से संबंधित है ।

3. अन्य मदें

(i) परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डी. सी. पी. एस.)

31 दिसम्बर, 2005 या उससे पूर्व नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों की " पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभों " पर, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 8,138.74 करोड़ (कुल राजस्व व्यय ₹84,848.21 करोड़ का 9.59 *प्रतिशत*) का व्यय किया गया। 1 जनवरी 2006 या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी, नई पेंशन स्कीम जो कि एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है, के पात्र हैं।

इस योजना के अन्तर्गत, कर्मचारी अपने मूल वेतन व महगांई भत्ते का दस *प्रतिशत* अंशदान करता है एवं इसके समतुल्य अंशदान, राज्य सरकार करती है एवं सारी राशि, राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा निगमित (एन.एस.डी.एल.) /अमानती बैंक के माध्यम से मनोनीत निधि प्रबंधक को हस्तान्तरित की जाती है। कर्मचारियों द्वारा देय वास्तविक राशि एवं राज्य सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान का, वर्षों से अनुमान नहीं लगाया गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, कर्मचारी अंशदान के ₹717.91 करोड़ के मुकाबले राज्य सरकार द्वारा केवल ₹694.20 करोड़ का अंशदान किया गया। इस प्रकार, राज्य सरकार ने अपना सांविधिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया क्योंकि वह डी. सी. पी. एस. के तहत सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 23.71 करोड़ का समरूप अंशदान करने में विफल रही। इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा डी. सी. पी. एस. में ₹ 23.71 करोड़ का कम अंशदान उसी हद तक राजस्व व्यय को कम करके दिखाता है । इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2020 तक डी. सी. पी. एस.के तहत ₹1,412.11 की कुल संग्रह में से राज्य सरकार ने डी. सी. पी. एस. के प्रावधानों के अनुसार एन.एस.डी.एल. को आगे निवेश करने के लिए केवल ₹1,407.78 करोड़ की राशि का हस्तांतरण किया तथा वर्ष 2019-20 के लिए अभी तक मनोनीत निधि प्रबंधक को ₹4.33 करोड़ की राशि का हस्तांतरण करना बाकी है।

31 मार्च 2020 तक, ₹56.60 करोड़ (₹23.71 का कम अंशदान विवरणी - 21 के अनुसार तथा अहस्तांतरित ₹32.89 करोड़) हस्तांतरित होने बकाया थे। ₹23.71 करोड़ के कम हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप राजस्व/ राजकोषीय घाटा उसी सीमा तक कम दिखाया गया (लेखाओं के अनुसार राजकोषीय घाटा ₹30,518.62 करोड़ है)। एन.एस.डी.एल. ने ₹1,410.91 करोड़ जमा होने की पुष्टि की है।

राज्य सरकार को उसके द्वारा जमा करवाई गई राशि और एन.एस.डी.एल.द्वारा स्वीकृत की गई राशि के बीच के अंतर के मिलान के लिए कहा गया था।

(ii) ऋण और अग्रिम

विवरणी 7 और 18 में दर्ज ऋण और अग्रिमों की जानकारी राज्य सरकार के विभागों से एकत्रित की गई है जो कि इन लेखों के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार हैं। वर्ष 2019-20 के अंत तक राज्य सरकार द्वारा कुल ₹7,390.30 करोड़ के ऋण प्रदान किए गए। इन में से सरकारी निगमों/कंपनियों, गैर-सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों की राशि ₹7,313.94 करोड़ थी। राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20

के दौरान पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹420.63 करोड़ की राशि (हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को ₹100.00 करोड़, हरको बैंक को ₹60.00 करोड़, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को ₹100.00 करोड़ दो बिजली कंपनियों को ₹160.63 करोड़) ऋण और अग्रिम के रूप में दी। वर्ष 2019-20 के अंत में ₹55.27 करोड़ के मूलधन की वसूली बकाया थी। राज्य सरकार द्वारा ब्याज की बकाया राशि की वसूली से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। राज्य सरकार को वर्ष 2019-20 के दौरान, ऋणों की अदायगी के तौर पर ₹5,392.63 करोड़ (बिजली वितरण कंपनियों के संबंध में ₹5,190.00 करोड़ के ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करने सहित) की राशि प्राप्त हुई। जिसमें से ₹68.62 करोड़ सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए ऋणों के पुर्नभुगतान से संबंधित है। बकाया ऋणों की वसूली के लिए उठाए जाने वाले प्रभावी कदम सरकार की राजकोषीय स्थिति को सुधारने में सहायक होंगे।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.) को शीर्ष 6401 के अंतर्गत ग्रामीण लिंक सड़कों के निर्माण तथा विशेष मुरम्मत के विभिन्न विकास कार्यों को निष्पादित करने के लिए डायवर्सन के माध्यम से नई योजनाओं को प्रारंभ कर ₹100.00 करोड़ का अल्पावधि ऋण स्वीकृत किया। लेकिन स्वीकृति में यह उल्लेख किया गया था कि तात्कालिकता के कारण, व्यय को वर्ष 2019-20 के दौरान हरियाणा में गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने के लिए निजी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता की मौजूदा योजना पर बुक कर दिया जाये। शीर्ष 6501 के तहत इस कार्यालय द्वारा नई योजनाओं को खोला गया था, लेकिन नई योजनाओं में धन के हस्तांतरण का कोई प्रस्ताव राज्य सरकर से प्राप्त नहीं हुआ है। ₹60.00 करोड़ की राशि को सत्र 2018-19 के किसानों की लंबित गन्ना बकाया देने के लिए नारायणगढ़ शुगर मिल्स लिनिटेड, नारायणगढ़ को ऋण उपलब्ध कराने के लिए शीर्ष 6401 के तहत हरको बैंक लिमिटेड, चण्डीगढ़ को मंजूर किया गया था। इसके अतिरिक्त, शीर्ष-6860-04 के अंतर्गत विभिन्न सहकारी चीनी मिलों को ₹770.82 करोड़ का भुगतान किया गया। जिसमें सहकारी चीनी मिलों के ऋणों के एकमुश्त निपटान के (₹640.00 करोड़) और सहकारी चीनी मिलों में पावर को-जेनरेशन और इथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए (₹130.82 करोड़) दिए गए। इसके अतिरिक्त, ऋणियों के खातों व कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा के बीच बकाया ऋणों और अग्रिमों के आंकड़े राज्य सरकार द्वारा मिलान/पुष्टि नहीं किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हरियाणा राज्य लघु सिंचाई और नलकूप निगम लिमिटेड (एचएसएमआईटीसी) के संबंध में ऋण और उपार्जित ब्याज (₹215.15 करोड़) जनवरी, 2018 में राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमान में बिना किसी प्रावधान (2702 के तहत) के भट्टे-खाते में डाले गए। जिस से राज्य के खातों में ऋण बकाया दिखाया गया, लेकिन संकाय के खातों में ऋण शून्य दिखाया गया । कार्यालय ने प्रवेश सम्मेलन के समय मिलान की आवश्यकता पर जोर दिया।

(iii) गारंटियॉ

प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त राज्य सरकार, विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न सांवधिक निगमों सरकारी कम्पनियों तथा निगमों सहकारी समितियों द्वारा बाजार तथा वित्तीय संस्थानों के लिए गए ऋणों की प्रतिभूतियां भी देती है। ये प्रतिभूतियां ऋणी, जिनके लिए प्रतिभूति दी गई थी, ऋण की वापसी तथा पूंजी तथा उसके ब्याज की अदायगी न कर पाने की स्थिति में, राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व होती हैं। इन प्रतिभूतियों को राज्य के बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। विवरणी संख्या 9 एवं 20 में दर्शायी गई गारंटियों की स्थिति, राज्य सरकार के वित विभाग से प्राप्त जानकारी पर आधारित है । संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत विधान मण्डल द्वारा, कानून बनाकर राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाली गारंटियों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटियों की सीमा निर्धारित करता हो। हालांकि, हरियाणा सरकार द्वारा नवम्बर, 2001 में, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा, राज्य सरकार की गारंटी पर, वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले, सभी वर्तमान ऋणों पर, दो *प्रतिशत* की दर से गारंटी फीस लगाने के आदेश जारी किए गए। राज्य सरकार, वित्त विभाग ने पत्र संख्या 3/4/2016-।।।- इरामु (एफ.डी) दिनांक 06 जुलाई, 2016 द्वारा आगे सूचित किया कि हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के मामले में गारंटी फीस में छूट दे दी गई है तथा हरियाणा अनुसूचित-जाति वित्त एवं विकास निगम, तथा हरियाणा पिछड़ा वर्ग व आर्थिक पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड के मामले में यह घटा कर 1 *प्रतिशत* कर दी गई है । वर्ष के दौरान, राज्य सरकार को ₹ 98.74 करोड़ गारंटी फीस प्राप्त हुई ।

(iv) निवेश

राज्य सरकार सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, संयुक्त पूंजी कंपनियों और सहकारी संस्थाओं के इक्विटी और शेयरों में निवेश करती है। लेखों की विवरणी 8 और 19 (राज्य सरकार और लेखापरीक्षा कार्यालय से प्राप्त) में दर्शाई स्थिति के अनुसार, 2019-20 के अंत में में 110 सकायों सरकार का ₹36,922.92 करोड़ निवेश था। (अर्थात कुल निवेशित राशि का 0.24 *प्रतिशत*) वर्ष 2019-20 के दौरान ₹87.01 करोड़ लाभांश प्राप्त हुआ। इसमें से, ₹3.52 करोड़ का लाभांश एक ही सांविधिक निगम अर्थात हरियाणा भण्डारण निगम, चण्डीगढ़ से प्राप्त हुआ, जिसमें निवेश की गई राशि ₹2.92 करोड़ थी और शेष ₹83.49 करोड़ का लाभांश 109 संकायों में निवेशित ₹36,920.00 करोड़ राशि से प्राप्त हुआ। वर्ष 2019-20 के दौरान, निवेश में ₹6,175.01 करोड़ (शुद्ध) और लाभांश आय में ₹30.41 करोड़ की वृद्धि हुई।

निवेशी संगठनों द्वारा निवेश के आंकड़ों का मिलान राज्य सरकार के खातों की पुस्तकों के साथ नहीं किया जा रहा है। यह मामला भी प्रवेश सम्मेलन के दौरान उठाया गया था। आंकड़ों में पाए गए अंतर और इनमें से कुछ को

अनुबंध-ग में सूचीबद्ध किए गए हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के मामले में अंतरों की समीक्षा करने पर पाया गयाः

राज्य सरकार ने विद्युत कंपनियों को सहायता अनुदान के रूप में 7,785.00 करोड़ की राशि (2015-16 में ₹3,892.50 करोड़ और 2016-17 में ₹3,892.50 करोड़) स्वीकृत की। जिसमें संबंधित वर्षों में राजस्व व्यय माना गया सहायता अनुदान को बाद में 2018-19 के दौरान पुनः विनियोजन आदेश (अर्थात 2015-16 और 2016-17 के वार्षिक खातों के बंद हो जाने के बाद) के द्वारा इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया और विद्युत कंपनियों के खातों में परिलक्षित किया गया, जो कि पंजाब बजट नियमावली के प्रावधानों के साथ-साथ लागू लेखांकन नीतियों के भी विपरीत था। इस प्रकार राज्य सरकार के वार्षिक लेखों तथा संबंधित विद्युत कंपनियों के खातों में निवेश की राशि में ₹7,785.00 करोड़ का अंतर आ गया।

(v) आरक्षित निधियॉ

आरक्षित निधियों का विवरण वित्त लेखों की विवरणी 21 एवं 22 में उपलब्ध है। विशिष्ट परियोजनों हेतु, दस आरक्षित निधियाँ (पांच ब्याज सहित और पांच ब्याज रहित) रखे गए थे। ब्याज सहित आरक्षित निधियों के निवेशित न होने की स्थिति में शेष पर ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, तथा ब्याज रहित आरक्षित निधियों के शेषों का निवेश नागपुर स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलो में शेष राशि का निवेश किया जाता है। 31 मार्च 2020 तक विभिन्न आरक्षित निधियों (ब्याज सहित और ब्याज रहित) में निहित शेष नीचे सारणीबद्ध किए गए हैं :

क्र.सं.	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2020 को शेष (₹करोड़ में)
क	**ब्याज सहित आरक्षित निधियां**	
1	मूल्यह्रास आरक्षित निधि - मोटर परिवहन	490.94
2	मूल्यह्रास आरक्षित निधि - सरकारी मुद्रणालय	12.28
3	आरक्षित निधी-मोटर परिवहन दुर्घटना आरक्षित निधि	3.77
4	राज्य आपदा राहत निधी	3,172.72
5	राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधी	1,282.65
	कुल	**4,962.36**
ख	**ब्याज रहित आरक्षित निधियां**	
1	निक्षेप निधि	2,084.06
2	खान एवं खनिज विकास पुर्नउत्थान एवं पुर्नस्थापन निधि	220.43
3	विकास योजना के लिए निधि	1.41
4	हरिजन उत्थान के लिएग्राम पुनर्निर्माण हेतु निधि	2.29
5	गारंटी मोचन निधि	1,223.81
	कुल	**3,532.00**
	कुल योग	**8,494.36**

उपर्युक्त आरक्षित निधियों में से, (ख) ब्याज रहित आरक्षित निधियों के संख्या 3 और 4 पर वर्णित आरक्षित निधियों पर ब्याज पिछले पांच वर्षों से निष्क्रिय हैं। राज्य सरकार को इन निष्क्रिय आरक्षित निधियों को बंद करके इनके शेष को राज्य के समेकित कोष में हस्तांतरित करना अभी बाकी है।

कुछ मुख्य आरक्षित निधियोंका विवरण नीचे दिया गया है :

(क) ब्याज सहित आरक्षित निधियॉ

(i) राज्य आपदा राहत निधि

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में आपदा राहत निधि को राज्य आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ.) से बदल दिया। निधि के दिशा निर्देशों के अनुसार, केन्द्र व राज्यों को निधि में 75:25 के अनुपातानुसार अंशदान देना आवश्यक है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 सितम्बर 2010 तथा 30 जुलाई 2015 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, निधि अधिशेषों को निधि के प्रबंधन के लिए गठित राज्य कार्यकारी समिति की सिफारिशों के अनुसार निवेश करना आवश्यक है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य आपदा राहत निधि के लिए ₹227.10 करोड़ (वर्ष 2018-19 के दौरान, अधिक जारी ₹53.40 करोड़ की कटौती के बाद बर्ष 2019-20 के लिए केन्द्रीय भाग की पहली और दूसरी किश्त) जारी किए गए। भारत सरकार द्वारा जारी ₹227.10 करोड़ के विरूद्ध राज्य भाग ₹146.90 करोड़ बनता (पिछले वर्ष के भाग सहित) है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान ₹599.16 करोड़ की राशि निधि को हस्तांतरित की गई, (विभागीय अधिकारियों के पास अव्ययित पड़े ₹25.16 करोड एवं निधि में पडे अनिवेशित अधिशेष पर ब्याज के ₹ 200.00 करोड़ सहित)। निधि से ₹42.56 करोड़ का व्यय प्रतिपूरित किया गया। राज्य सरकार ने कोई निवेश नहीं किया है हालांकि 31 मार्च 2019 को ₹2,616.12 का जमा शेष था। 31 मार्च 2020 को निधि में ₹ 3,172.72 करोड़ का अधिशेष था ।

(ii) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष

भारत सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-1/2009-एफ सी दिनांक 28 अप्रैल, 2009 द्वारा जारी हिदायतों और 2 जुलाई 2009 के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकारों को राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण स्थापित करना आवश्यक है, जोकि प्राप्त राशि का प्रबंधन करेगा तथा एकत्रित धन राशि का प्रतिपूरक वनीकरण, सहायता प्राप्त प्रकृतिक पुनर्जनन, वनों की सुरक्षा और संरक्षण, अवसंरचना विकास, वन्यजीव सरंक्षण और सुरक्षा व उपर्युक्त से जुड़े मामलों में तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग करेगा। प्राधिकरण इस उद्देश्य के लिए राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष की स्थ्पना करेगा।

लेखा व्यवस्थाः उपयोगकर्ता एजेंसियों से राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त धनराशि को राज्य के लोक लेखा में ब्याज सहित अनुभाग के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमा से नीचे लघुशीर्ष-'राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा' में जमा करना है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 की धारा 3 (4) के अनुसार, 90 *प्रतिशत* निधि को

राज्य के लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां को हस्तांरित करने की आवश्यकता है और शेष 10 *प्रतिशत* की राशि वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में जमा की जाएगी बशर्ते, राष्ट्रीय कोष में स्थानांतरित करने के लिए धन के 10 *प्रतिशत* केंद्रीय हिस्से का जमा मासिक आधार पर सुनिश्चित किया जाए।

'8336-सिविल जमा' के अंतर्गत 'राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा' और 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों के अंतर्गत राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि में उपलब्ध शेष राशि पर ब्याज की दर वार्षिक आधार पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार होगी। चूंकि यह एक ब्याज सहित आरक्षित निधि है, इसलिए निधि शेष राशि का निवेश करना जरूरी है।

राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि की स्थितिः वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार को राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण जमा से क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण निधि के राज्य के हिस्से के रूप में ₹1,282.65 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान शीर्ष 8336 और 8121 के अंतर्गत कोई ब्याज नहीं दिया। 31 मार्च 2020 तक क्षतिपूरक वनीकरण निधि से कोई व्यय नहीं किया गया जबकि 31 मार्च 2020 को राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि में कुल ₹1,282.65 करोड़ का शेष था।

(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ

(i) समेकित निक्षेप निधि

हरियाणा सरकार द्वारा खुले बाजार कर्जो की अदायगी के लिए वर्ष 2002 में समेकित निक्षेप निधि का गठन किया गया । दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार द्वारा, गत वर्ष के अन्त में खुले बाजार कर्जो का एक से तीन *प्रतिशत*, तक निधि को अंशदान देना होता है।

राज्य सरकार द्वारा हालांकि वर्ष के दौरान निधि को कोई अंशदान नहीं दिया गया जिससे निधि को ₹1,149.90 करोड़ (31 मार्च, 2019 को लम्बित बाजार कर्जे ₹1,14,989.59 करोड़ का एक *प्रतिशत*) कम अंशदान हुआ । 31 मार्च, 2020 को समेकित निक्षेप निधि में ₹2,084.06 करोड़ का अधिशेष था जिस में से ₹2,081.93 करोड़ निवेशित किए हुए है।

(ii) गारंटी मोचन निधि

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं स्थानीय निकायों के प्रति दी गई गारंटियों के निर्वहन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2003 में गारंटी मोचन निधि (जी. आर. एफ.) का गठन किया गया। निधि के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार को, सरकार द्वारा अनुमानित वार्षिक एवं आवधिक अंशदान के साथ एकत्रित गारंटी फीस, गारंटी मोचन निधि को हस्तान्तरित करनी होती है। निधि का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। वर्ष 2019-20 के शुरूआत में सरकार की बकाया गारंटियॉ ₹18,219.87 करोड़ थी। भारतीय रिजर्व बैंक के

2013 के दिशा-निदेर्शो में, वर्ष के आरंभ में बकाया गारंटियों के न्यूनतम 1 *प्रतिशत* एवं उसके बाद, गत वर्ष का बकाया गारंटियों के न्यूनतम 3 से 5 *प्रतिशत* के बराबर कोष उपलब्ध करने के लिए प्रति वर्ष, न्यूनतम 0.5 *प्रतिशत* का अंशदान करना होता है। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार द्वारा, गारंटी मोचन निधि को कोई अंशदान नहीं दिया गया।

31 मार्च, 2020 को निधि में पडा ₹1,223.81 करोड़ (जो ₹18,219.87 करोड़ की लम्बित गारंटियों का 6.72 *प्रतिशत* है) का सारा अधिशेष निवेशित है ।

(iii) खान एवं खनिज विकास, पुनर्स्थापन एवं पुनर्सुधार निधि

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के, खनन क्षेत्र में पर्यावरण की दृष्टि से चिरस्थाई विकास हेतु और राज्य के खनन स्थलों के संरक्षण, बचाव, पुनर्सुधार और पुनर्स्थापन तथा क्षेत्र में परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण और बचाव के समग्र हित के लिए अन्य संबंधित कार्य करने के लिए दिनांक 10 जुलाई 2015 को अधिसूचना जारी कर निधि की स्थापना की। निधि, 'बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां' के अन्तर्गत खोली गई है हालांकि इस पर 6 *प्रतिशत* ब्याज मिलना है।

निधि के संविधान के अनुसार, पुनर्सुधार एवं पुनर्स्थापना कार्यो हेतु सरकार को दिए डैड किराया/राज्यधिकार/संविदा मूल्य की राशि के 10 *प्रतिशत* के बराबर खनिज रियायत प्राप्तकर्ताओं से 'अन्य प्रभार' रूप में वसूल कर निधि में जमा किए जाने है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा, वित्त वर्ष के दौरान, डैड किराया/राज्यधिकार/संविदा मूल्य की मद से प्राप्त राशि के 5 *प्रतिशत* के बराबर सरकारी अंशदान को भी निधि में जमा/स्थानांतरित किया जाना है ।

1 अप्रैल 2019 को निधि में ₹170.52 करोड़ का अधिशेष था। राज्य सरकार को वर्ष के दौरान डैड किराया इत्यादि की मद से ₹582.33 करोड़ एवं रियायत प्राप्त कर्ताओं से 'अन्य प्रभार' के रूप में ₹46.84 करोड़ प्राप्त हुए। ₹87.35 करोड़ की राशि (रियायत प्राप्त कर्ता अंशदान के डैड किराये का 10 *प्रतशित* के रूप में ₹58.23 करोड़ तथा ₹582.33 करोड़ के डैड किराये को 5 *प्रतशित* के रूप में तथा राज्य भाग के ₹29.12 करोड़) निधि को स्थानान्तरित की जानी थी। परन्तु राज्य सरकार द्वारा, वर्ष के दौरान केवल ₹85.50 करोड़ (राज्य अंशदान ₹32.92 करोड़ एवं रियायत प्राप्त कर्ता अंशदान ₹52.58करोड़) निधि को स्थानान्तरित किऐ गऐ जिससे निधि को ₹1.85 करोड़ का कम अंशदान मिला। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने निधि में पडे शेषों पर ब्याज नहीं दिया, जिससे निधि में ब्याज का ₹10.23 करोड़ (₹170.52 करोड़ का 6 *प्रतिशत*) तक कम अंशदान हुआ । वर्ष के दौरान निधि में से ₹35.59 करोड़ का ब्यय किया गया, जिससे निधि में, 31 मार्च 2020 को ₹ 220.43 करोड़ का अधिशेष बच गया ।

लेखों में डैड किराया इत्यादि एवं रियायत प्राप्त कर्ता के अंशदान की प्राप्ति तथा निधि में राज्य द्वारा किए हस्तान्तरण का कोई मिलान नही किया गया है।

(vi) केन्द्रीय सड़क निधि

भारत सरकार की केन्द्रीय सडक निधि से, राज्य सरकार को वर्ष 2019-20 के दौरान ₹200.77 करोड़ की सहायता राशि प्राप्त हुई जो कि राज्य लेखों में मुख्य शीर्ष 1601-केन्द्रीय सरकार से सहायतानुदान, 08-अन्य विधान मंडल वाले हस्तांतरण/राज्य/संघ राज्य को अनुदान, 108-केन्द्रीय सडक निधि से सहायता अनुदान के अन्तर्गत दर्ज की गई । यह राशि अन्ततः शीर्ष 3054-सडके एवं पुल, 80-सामान्य, 797- आरक्षित निधि/जमा लेखे में/ से हस्तान्तरण को नामे करते हुए शीर्ष 8449- अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सडक निधि से सहायता में जमा कर दी गई । विशिष्ट सडक कार्यो पर किए गए ₹160.59 करोड़ के व्यय को शीर्ष 8449- अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सडक निधि से सहायता को नामे तथा शीर्ष 5054- सडकें एवं पुल पर पूंजिगत व्यय, 03-राज्य राजमार्ग, 902-केन्द्रीय सड़क निधि से प्रतिपूर्ति की गई राशि को ऋणात्मक नामे करते हुए निधि से प्रतिपूर्ति किया गया। 31 मार्च 2020 को जमा शीर्ष के अतर्गत ₹ 258.65 करोड़ का अधिशेष पडा था।

(vii) उचन्त तथा प्रेषण शेष

वित्त लेखे, उचन्त एवं प्रेषण शीर्षो के अन्तर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। विभिन्न शीर्षों के अधीन पृथक से लम्बित नामें एवं जमा शेषों को जोड़तें हुए इन शीर्षों के अन्तर्गत लम्बित शेषों की गणना की जाती है। विगत तीन वर्षो की मुख्य उचन्त मदों को सकल नामें एवं जमा के रूप में **अनुबंध- घ** दर्शाया गया है।

(viii) विभाजित राज्यों के विरासत के मुद्दे

01 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य के पुनर्गठन के कारण, ₹342.94 के शेषों को (पंजाब सरकार के वित्त लेखों में दिखाए गए विभिन्न पूंजीगत शीर्षों के तहत शेष) उत्तराधिकारी राज्यों के बीच आबंटित किया जाना था। जिसमें से ₹111.52 करोड़ की राशि अभी आबंटित की जानी है। जिन मदों के लिए शेषों का आबंटन किया जाना है, उनके विवरण को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। अन-आबंटित शेषों का विवरण वित्त लेखों के परिशिष्ट-XII में दर्शाया गया है।

आबंटन को अपीलीय प्राधिकरण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है। आबंटन संबंधित सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा पूर्ण अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने के कारण लंबित है। अतः राज्य सरकार को इस मामले को जल्द निपटारे के लिए आगे बढ़ाने की जरूरत है।

(ix) राज्य सरकार को राज्य के बजट से बाहर विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं/केंद्रीय सहायक योजनाओं के लिए भारत सरकार से अनुदान

भारत सरकार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पर्याप्त निधियों का प्रत्यक्ष रूप से राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों/गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ) को अंतरण करती है। महालेखा नियंत्रक (सी.जी.ए.) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल पर उपलब्ध स्थिति के अनुसार, वर्ष 2019-20 के

दौरान, भारत सरकार ने विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं/केंद्रीय सहायता योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर ₹4,351.10 करोड़ के अनुदान जारी किये। चूंकि इन निधियों को राज्य के बजट के माध्यम से जारी नहीं किया गया था, इसलिए ये राज्य सरकार के लेखों में परिलक्षित नहीं होती हैं। इन अंतरणों को वित्त लेखों के परिशिष्ट-VI में प्रदर्शित किया गया है।

(x) विनियोग खातों के अनुसार आधिक्य तथा बचतें

हरियाणा के बजट में 18 प्रभारित विनियोजन और 45 दत्तमत अनुदान हैं। वर्ष 2019-20 के अंत में, राज्य सरकार ने वास्तविक व्यय में व्यय की कटौती के कारण ₹26,593.44 करोड़, (₹1,56,449.71 करोड़ के बजट अनुमानों का 17 *प्रतिशत*) की निवल बचत और ₹4,641.75 करोड़ का अधिक आकलन(₹14,899.12 करोड़ के बजट अनुमानों का 31.15 *प्रतिशत*) दर्शाया। कुछ अनुदानों जैसे कि, भवन और सड़क, शहरी विकास, स्थानीय सरकार, कृषि, ग्रामीण और सामुदायिक विकास, ऊर्जा और विद्युत में पर्याप्त बचत पाई गई।

(xi) व्यय की हड़बड़ी

विवेकशील वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुसार वर्ष के अंतिम समय में व्यय से बचा जाना चाहिए। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा व्यय की हडबडी को रोकने के दिशा निर्देश जारी किए गए, मार्च 2020 में ₹10,548.40 करोड़ और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ₹23,998.69 करोड़ का व्यय किया गया, जो कि वर्ष के दौरान राजस्व एवं पूंजीगत शीर्षो के अन्तर्गत कुल व्यय ₹99,822.27 करोड़ [मार्च, 2019 (प्रा.)] का लगभग 10.57 *प्रतिशत* और 24.04 *प्रतिशत* था। लेखा शीर्षों, जहां मार्च, 2020 के दौरान व्यय, वर्ष के दौरान कुल व्यय [मार्च, 2020 (प्रा.)], का 40 *प्रतिशत* से अधिक था और और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में 60 *प्रतिशत* से अधिक था का विवरण **अनुबंध-ङ** में दिया गया है। इसी तरह, मार्च, 2020 के दौरान ₹5,727.05 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी, जो राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत ₹66,332.36 करोड की कुल प्राप्ति का लगभग 8.63 *प्रतिशत* थी। नकद प्राप्तियां वर्ष भर सामान रूप से प्राप्त होती रहीं तथा इस कारण व्यय की कोई हडबडी नहीं हुई।

(xii) आकस्मिकता निधि

संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के प्रावधानों के अनुसार, हरियाणा राज्य को आकस्मिकता निधि की स्थापना, हरियाणा आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1966 (1967 का हरियाणा अधिनियम संख्या 2) के तहत की गई। हरियाणा के राज्यपाल के पास रखे अग्रदान स्वरूप की है जिसमें से वह बजट में प्रदान नहीं किए गए तत्काल अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए समय-समय पर अग्रिम प्रदान कर सके। जब तक कि इस व्यय को राज्य विधान मंडल द्वारा विनियोग अधिनियम के माध्यम से प्राधिकृत नहीं किया जाता तथा अग्रिम की प्रतिपूर्ति समेकित निधि से नहीं की जाती। इसका सिर्फ एक ही मुख्य शीर्ष 8000-आकस्मिकता निधि है तथा आकस्मिकता निधि से

किए गए सभी लेन देन इस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं। हरियाणा सरकार की आकस्मिकता निधि का कोष ₹200 करोड़ है। वर्ष 2019-20 के दौरान आकस्मिकता निधि से कोई अग्रिम नहीं लिया गया।

(xiii) भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक उपकर को छोड़ कर राज्य सरकार ने कोई उपकर नहीं लगाया है। यह उपकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। इस उपकर को भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के के अनुसार श्रमिकों की कार्यस्थितियों में सुधार लाने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नियोक्ताओं द्वारा किए गए निर्माण की लागत का 1 *प्रतिशत* से 2 *प्रतिशत* तक लगाया जा रहा है, इसे "हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड" द्वारा एकत्र किया जाता है और "हरियाण भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण निधि" में जमा किया जाता है।

श्रम उपकर के लेखांकन के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई लेखांकन प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई। उपकर प्राप्तियों को राज्य के समेंकित निधि के माध्यम से नहीं लिया जा रहा और राज्य सरकार के लेखों में इनको दर्ज/परिलक्षित नहीं किया जा रहा। चूंकि उपकर को लेखों के बाहर एकत्र किया जा रहा है, राज्य सरकार द्वारा एकत्रित उपकर की राशि, नामित निधि को हस्तांतरित उपकर, बकाया अंतरण, उपकर निधियों की उपयोगिता को राज्य सरकार के खातों से ज्ञात नहीं किया जा सकता। यह विवरण केवल हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा भेजा गया विवरण निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

निधि में प्रारंभिक शेष	**2019-20 के दौरान कुल उपकर संग्रहण**	**2019-20 के दौरान निधि से व्यय**	**निधि में अंतिम शेष**
2,948.78	285.55	323.66	2,910.67

उपकर की लेखा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए इस मामले को राज्य के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से उठाया जा रहा है ताकि राज्य के लेखों से यह डेटा आसानी से प्राप्त किया जा सके।

(xiv) हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम./एम.टी.एफ.पी.) अधिनियम एवं उसके अधीन नियमों के अन्तर्गत प्रकटन

हालांकि राज्य सरकार द्वारा चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, अपने राज कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम./एम.टी.एफ.पी.) अधिनियम को संशोधित नहीं किया है तथापि

विभिन्न मदों पर राज्य सरकार की उपलब्धियाँ निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	लक्ष्य	लेखों के अनुसार उपलब्धि
1	2019-20 के दौरान राजस्व घाटा शून्य होना	लेखाओं के अनुसार, 2019-20 में हरियाणा सरकार का राजस्व घाटा ₹16,990.08 करोड़ (जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद* का 2.04 *प्रतिशत* है) था। हरियाणा सरकार के लेखे, वर्ष 2008-09 से लगातार राजस्व घाटा दिखा रहे हैं।
2	2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानों के 3.25 *प्रतिशत* से अधिक न होना	लेखाओं के अनुसार, हरियाणा सरकार ने 2019-20 में ₹30,518.62 करोड़ (जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद* का 3.67 *प्रतिशत* है) राजकोषीय घाटा** दिखाया।
3	2019-20 में ऋण भण्डार सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21.33 *प्रतिशत* से अधिक न होना	31 मार्च 2020 को राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण ₹1,85,491.05 करोड़, (जो कि वर्ष 2018-19 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद * का 22.31 *प्रतिशत* है) था ।

*अर्थ एवं साख्यांकी विशलेषण विभाग, हरियाणा के अनुसार वर्तमान दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद **₹ 8,31,610.21** करोड़ था।

** राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 2019-20 के दौरान खाद्य अपार्जन पर व्यय के लिए भारतीय खाद्य निगम से ₹4,402.18 करोड की वसूली का अंतर है। यदि भारतीय खाद्य निगम से वसूली में इस अंतर को ध्यान में रखा जाए तो राजकोषीय घाटा ₹26,116.44 करोड (यानि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.14 *प्रतिशत*)आता है। इसी तरह, यदि ₹1,659.58 करोड (2018-19) के वसूली अंतर को ध्यान में रखा जाए, तो वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटा ₹20,252.17 करोड (यानि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.86 *प्रतिशत*) होगा।

(xv) मुख्य शीर्ष -3435 के तहत पारिस्थितिकी विज्ञान तथा और पर्यावरण पर व्यय

राज्य सरकार के वित्त लेखों में प्राकृतिक संसाधन लेखों (एन.आर.ए)/पर्यावरण संरक्षण व्यय को दर्शाने हेतु, हरियाणा राज्य के मुख्य शीर्ष - 3435 पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण के तहत तीन वर्ष के बजट आबंटन एवं व्यय को राज्य सरकार से प्राप्त वाउचर/सूचना के आधार पर उद्देश्य स्तर तक संकलित किया गया है और **अनुबंध च** में दिखाया गया है। 2019-20 के दौरान मुख्य शीर्ष-3435-पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण के तहत इस मुख्य शीर्ष में ₹13.09 करोड़ का बजट आबंटन के विरूद्ध ₹11.61 करोड़ का व्यय किया गया। यह व्यय 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में व्यय एक जैसा है यानि कुल राजस्व व्यय का 0.01 *प्रतिशत*। **अनुबंध च** में मुख्य शीर्ष - 3435-पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण के तहत बजट आबंटन के साथ-साथ राजस्व व्यय को उद्देश्य स्तर तक दर्शाया गया है।

(xvi) राजस्व घाटे /राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

पूर्ववर्ती पैरों में वर्णित मदों का राज्य के राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव निम्न तालिका में दिया गया है-

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	मद	राजस्व घाटे पर प्रभाव	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव
		राजस्व घाटा कम बताना	राजकोषीय घाटा कम बताना
3 (i)	राज्य सरकार द्वारा परिभाषित अंशदाई पेंशन योजना का कम योगदान	23.71	23.71
3 (v) (ख) (i)	समेकित निक्षेप निधि को अंशदान न करना	1,149.90	1,149.90
3 (v) (ख) (iii)	खान एवं खनिज विकास पुनर्स्थापना एवं पुनर्सुधार निधि को कम अंशदान तथा शेषों पर ब्याज समायोजित न करना	12.08 (₹1.85 करोड़ का कम अंशदान तथा ₹10.23 करोड़ ब्याज)	12.08 (₹1.85 करोड़ का कम अंशदान तथा ₹10.23 करोड़ ब्याज)
	कुल कम बताना	**1,185.69**	**1,185.69**

(xvii) राज्य सरकार द्वारा पंजाब नेशनल बैंक (पी.एन.बी.) से ऋण वित्त पोषण

हरियाणा सरकार ने अधिसूचना सं 2/2/2004-डब्ल्यू.एम. (3) दिनांक 4 नवंबर 2016 के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दिए बकाया गृह निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम, कंप्यूटर अग्रिम व मैरिज ऋण के मूलधन ₹562.02 करोड़ को राज्य सरकार की अपरिवर्तनीय गारंटी पर मूलधन हिस्से को बैंक (पंजाब नेशनल बैंक) को हस्तांतरित कर दिया तथा इस राशि को शीर्ष 7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि के तहत प्राप्ति के रूप में दर्ज कर लिया।

राज्य सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच हर करार के नियमों और शर्तों के अनुसार, व्यक्तिगत रूप से लागू ब्याज पी.एन.बी. द्वारा अर्जित स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है। पी.एन.बी. द्वारा लगाए गए ब्याज की दरें कर्मचारियों से लिए गए ब्याज से अधिक हैं और इससे पी.एन.बी. के लिए देय ब्याज और कर्मचारियों से प्राप्त ब्याज के बीच अंतर पैदा हो गया है। दो ब्याजों के बीच के इस अंतर का भुगतान अंतर राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसे राज्य सरकार द्वारा शीर्ष 2049-ब्याज भुगतान के तहत वर्गीकृत किया जा रहा है।

राज्य सरकार के कर्मचारियों के ऋण और अग्रिमों के तौर पर 31 मार्च 2017 तक अर्जित ब्याज ₹260.87 करोड़ की राशि पी.एन.बी. को हस्तांतरित की गई। चूंकि, राज्य सरकार को बाद के वर्षों में इस राशि पर ब्याज का वहन करना पडेगा, अतः उसको 2018-19 के दौरान मुख्य शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण के तहत लघु शीर्ष 107 भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से प्राप्त ऋण के अंतर्गत हस्तांतरित किया गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान, व्यक्तिगत कर्जदारों से ब्याज के रूप में ₹52.23 करोड़ की राशि, प्राप्त हुई है और ₹208.64 करोड़ की शेष राशि अभी वसूल की जानी है। ₹52.23 करोड़ की वसूल की गई राशि को सरकार की ब्याज प्राप्ति के रूप में दिखाया गया है और राज्य सरकार की ऋण देयता वर्ष 2019-20 के में इस सीमा तक कम कर दी गई है।

अनुबंध- क

आवधिक/अन्य समायोजनों की विवरणी

(लेखाओं पर टिप्पणियॉ के पैरा 1(ii) में संदर्भित)

क्र0सं0	आवधिक समायोजन विवरण	लेखा शीर्ष		राशि	टिप्पणी
		से	को	(₹ करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6
1	सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन	2049- ब्याज अदायगियॉ (नामे)	8009- राज्य भविष्य निधि (जमा)	*1,231.89*	सामान्य भविष्य निधि शेषों पर अर्जित ब्याज का समायोजन।
2	राज्य सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना के शेषों पर ब्याज का समायोजन	2049- ब्याज अदायगियॉ (नामे)	8011- बीमा तथा पेंशन निधियां (जमा)	*25.00*	राज्य सरकार कर्मचारी बीमा योजना के शेषों पर ब्याज का समायोजन।
3	मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि को स्थानांतरण	2049- ब्याज अदायगियॉ (नामे)	8115- मूल्यह्रास/ नवीकरण आरक्षित निधि, 103-मूल्यह्रास आरक्षित निधियां-- सरकारी वाणिज्यिक विभाग (जमा)	*50.26*	मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि पर भारित ब्याज।
4	मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि को स्थानांतरण	3055- सड़क परिवहन (नामे)	8115- मूल्यह्रास/ नवीकरण आरक्षित निधि, 103-मूल्यह्रास आरक्षित निधियां-- सरकारी वाणिज्यिक विभाग (जमा)	43.75	मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि को स्थानांतरण हेतु राजस्व व्यय पर प्रभारित बसों का मूल्य ह्रास ।
5	परिवहन में पूंजी निवेश पर ब्याज का समायोजन	3055- सडक परिवहन (नामे)	0049- ब्याज प्राप्तियॉ (जमा)	38.50	पूंजी निवेश पर ब्याज
6	आरक्षित निधि पर ब्याज का समायोजन	2049- ब्याज अदायगियॉ (नामे)	8115- मूल्यह्रास/ नवीकरण आरक्षित निधि, 104-मूल्यह्रास आरक्षित निधियां-- सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभाग (जमा)	*1.68*	मूल्य ह्रास आरक्षित निधि पर भारित ब्याज (सरकारी मुद्रणालय)
7	आरक्षित निधि को हस्तान्तरण का समायोजन	2202-सामान्य शिक्षा (नामे)	8115- मूल्यह्रास/ नवीकरण आरक्षित निधि, 104-मूल्यह्रास आरक्षित निधियां- सरकारी गैर -वाणिज्यिक विभाग (जमा)	0.06	मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि को हस्तान्तरण (सरकारी पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय)
8	आरक्षित निधि को हस्तान्तरण का समायोजन	2058- लेखन सामग्री और मुद्रण (नामे)	8115- मूल्यह्रास/ नवीकरण आरक्षित निधि, 104-मूल्यह्रास आरक्षित निधियां-- सरकारी गैर -वाणिज्यिक विभाग (जमा)	0.06	मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि को हस्तान्तरण (सरकारी मुद्रणालय)
9	मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि से बसों की खरीदारी पर पूंजीगत व्यय	8115- मूल्यह्रास/ नवीकरण आरक्षित निधि, 103-मूल्यह्रास आरक्षित निधियां-- सरकारी वाणिज्यिक विभाग (नामे)	5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय (ऋण नामे)	60.00	आरक्षित निधि पर भारित नई बसों के क्रय पर व्यय ।
10	मोटर परिवहन आरक्षित निधि पर ब्याज का समायोजन	2049- ब्याज अदायगियॉ (नामे)	8121- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियॉ, 101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों की सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां (जमा)	*0.37*	मोटर परिवहन आरक्षित निधि पर ब्याज।

अनुबंध- क -*जारी*
आवधिक/अन्य समायोजनों की विवरणी
(लेखाओं पर टिप्पणियॉ के पैरा 1(ii) में संर्दभित)

क्र0सं0	आवधिक समायोजन विवरण	लेखा शीर्ष		राशि	टिप्पणी
		से	को	(₹ करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6
11	आरक्षित निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति का समायोजन	8121- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियॉ, 101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों की सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां (नामे)	3055- सड़क परिवहन (ऋण नामे)	0.25	मोटर परिवहन आरक्षित निधि से खर्च की प्रतिपूर्ति।
12	आरक्षित निधि को हस्तातरण का समायोजन	3055- सड़क परिवहन (नामे)	8121- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियॉ, 101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों की सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां (जमा)	0.25	सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों को हस्तातरण। (मोटर परिवहन आरक्षित निधि)
13	राज्य आपदा राहत निधि	2245- प्राकृतिक आपदाओं पर राहत (नामे)	8121-122 राज्य आपदा राहत निधि (जमा)	374.00	राज्य आपदा राहत निधि को अंशदान का समायोजन
14	राज्य आपदा राहत निधि शेष पर दिया गया व्याज	2049-व्याज की अदायगियां (नामे)	8121-122 राज्य आपदा राहत निधि (जमा)	*200.00*	राज्य आपदा राहत निधि शेष पर दिए गए ब्याज का समायोजन
15	राज्य आपदा राहत निधि	8121- 122 राज्य आपदा राहत निधि (नामे)	2245-05-901- राज्य आपदा राहत निधि से प्रतिपूर्ति राशि को घटाना (ऋण नामे)	42.56	राज्य आपदा राहत निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति का समायोजन
16	सिंचाई परियोजनाओं पर ब्याज का समायोजन	2700- मुख्य सिंचाई (नामे)	0049- ब्याज प्राप्तिया (जमा)	*560.15*	सिचाई परियोजनाओं पर निवेशित पूंजी पर प्रभारित ब्याज
17	सिंचाई परियोजनाओं पर ब्याज का समायोजन	2701-मध्यम सिंचाई (नामे)	0049- ब्याज प्राप्तिया (जमा)	*181.67*	सिचाई परियोजनाओं पर निवेशित पूंजी पर प्रभारित ब्याज ।
18	बिजली शुल्क का आर्थिक सहायता के तौर पर समायोजन	2801- विद्युत (नामे)	0043- विद्युत कर तथा शुल्क (जमा)	254.29	विद्युत कम्पनियों द्वारा एकत्रित बिजली शुल्क की वसूली का आर्थिक समायता के तौर पर समायोजन ।
19	निक्षेप निधि में निवेश पर अर्जित ब्याज का समायोजन	8222-02-101- निक्षेप निधि निवेश लेखा (नामे)	8222-01-101 निक्षेप निधि (जमा)	157.89	निक्षेप निधि निवेश पर अर्जित ब्याज
20	खाद्यान्न आपूर्ति योजना में पूंजी निवेश पर ब्याज का समायोजन	4408- खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागार पर पूंजीगत परिव्यय (नामे)	0049- ब्याज प्राप्तियॉ (जमा)	*639.94*	खाद्यान्न आपूर्ति योजना में पूंजी निवेश पर भारित ब्याज

अनुबंध- क -*जारी*
आवधिक/अन्य समायोजनों की विवरणी
(लेखाओं पर टिप्पणियॉ के पैरा 1(ii) में संदर्भित)

क्र0सं0	आवधिक समायोजन विवरण	लेखा शीर्ष		राशि	टिप्पणी
		से	को	(₹ करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6
21	केन्द्रीय सरकार से प्राप्त वस्तु सहायतानुदान का समायोजन	2211- परिवार कल्याण, 103-मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य, 200-अन्य सेवाएं और आपूर्तियां (नामे)	1601-केन्द्रीय सरकार से सहायतानुदान (जमा)	50.06	केन्द्रीय सरकार से प्राप्त वस्तु सहायतानुदान
22	गारंटी मोचन निधि में निवेश पर ब्याज का समायोजन	8235-120 गारंटी मोचन निधि - निवेश लेखा (नामे)	8235-117 गारंटी मोचन निधि (जमा)	95.53	गारंटी मोचन निधि में निवेश पर अर्जित ब्याज का समायोजन
23	केन्द्रीय सड.क निधि से अनुदान का समायोजन	3054- सड.के एवं पुल, 80-सामान्य, 797-आरक्षित निधि/जमा लेखा से/को हस्तान्तरण (नामे)	8449- अन्य जमा 103- केन्द्रीय सड.क निधि से आर्थिक सहायता (जमा)	200.77	केन्द्रीय सड.क निधि से प्राप्त अनुदान का जमा लेखा में हस्तान्तरण
24	केन्द्रीय सड.क निधि से व्यय का समायोजन	8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड.क निधि से आर्थिक सहायता (नामे)	5054- सड़क और पुल पर पूंजीगत परिव्यय, 03-राज्य राजमार्ग, 902- केन्द्रीय सडक निधि से की प्रतिपूर्ति की कटौती (ऋण नामे)	160.59	केन्द्रीय सड.क निधि से ब्यय की प्रतिपूर्ति
25	खान एवं खनिज विकास, पुनर्स्थापन एवं पुनर्सुधार निधि को अंशदान का हस्तांतरण	2853-अलोह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 02-खानों का विनियमन और विकास, 797- खान एवं खनिज विकास, पुनर्स्थापन एवं पुनर्सुधार निधि को हस्तांतरण (नामे)	8229- विकास और कल्याण निधियां,114- खान कल्याण निधि (जमा)	85.50	खान एवं खनिज विकास, पुनर्स्थापन एवं पुनर्सुधार निधि को अंशदान के हस्तांतरण का समायोजन
26	खान एवं खनिज विकास, पुर्नस्थापन एवं पुर्नसुधार निधि से व्यय का समायोजन	8229- विकास और कल्याण निधियां,114- खान कल्याण निधि (नामे)	2853-अलोह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 02-खानों का विनियमन और विकास, 902- खान एवं खनिज विकास, पुर्नस्थापन एवं पुर्नसुधार निधि से राशि को घटाएं (ऋण नामे)	35.59	खान एवं खनिज विकास, पुर्नस्थापन एवं पुर्नसुधार निधि से व्यय
27	एन.एच.ए.आई/रेलवे मंत्रालय द्वारा भूमि अधिग्रहण के जमा पर दिया गया ब्याज	2049-ब्याज की अदायगियां (नामे)	8342-अन्य जमा, 103-सरकारी कम्पनियों, निगमों आदि की जमा (जमा)	*14.99*	एन.एच.ए.आई/रेलवे मंत्रालय द्वारा भूमि अधिग्रहण के जमा पर दिए गए ब्याज का समायोजन
28	सरकारी कर्मचारियों के ऋण और अग्रिमों से प्राप्त ब्याज	6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण, 107-भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बेंकों से कर्जे (ऋण जमा)	0049-ब्याज प्राप्तियां, 800-अन्य प्राप्तियां (जमा)	*52.23*	सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त और पंजाब नेशनल बैंक को हस्तांतरित उपार्जित ब्याज का समायोजन
29	अनाज आपूर्ति योजना पर स्थापना व्यय का समायोजन	2408- खाद्य भंडारण और भण्डारागार, 01- खाद्य, 001-निर्देशन और प्रशासन (ऋण नामे)	4408- खाद्य भंडारण और भण्डारागार, पर पूंजीगत परिव्यय, 01- खाद्य, 101- अपार्जन और आपूर्ति (नामे)	*253.53*	स्थापना व्यय का समायोजन, पूंजीगत लेखा को प्रभारित

अनुबंध- ख

लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय के अन्तर्गत व्यय की मुख्य शीर्षवार विवरणी

(लेखाओं पर टिप्पणियॉ के पैरा 2(ii) में संर्दभित)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्यशीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	प्रतिशतता
1	2075	विविध सामान्य सेवाएं	149.42	149.15	100
2	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	8.72	8.05	92
3	2700	मुख्य सिंचाई	1,156.86	946.56	82
4	2801	विद्युत	6,978.40	6,978.40	100
5	3435	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	11.61	9.71	84
6	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	117.37	97.33	83
7	5053	नगर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	15.76	15.34	97
8	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	28.85	28.85	100
		कुल	**8,466.99**	**8,233.39**	**97**

अनुबंध- ग

निवेशों के मिलान के दौरान पाये गए अंतरों का विवरण

(लेखाओं पर टिप्पणियॉ के पैरा 3 (iv) में संर्दभित)

क्र.सं.	संकाय	वित्त वर्ष 2018-19 के वित्त लेखों के अनुसार आंकडे (₹करोड़ में)		
		2018-19 के वित्त लेखों की विवरणी-16 के अनुसार	विद्युत कंपनियों के लेखों के अनुसार	अंतर
1.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटड	2,431.89	6,114.85	3,682.96
2.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटड	2,761.20	6,521.24	3,760.04
3.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटड	291.53	633.53	342.00
	कुल	**5,484.62**	**13,269.62**	**7,785.00**

अनुबंध- घ

लम्बित उचन्त एवं प्रेषण शेषों का विवरण

(लेखाओं पर टिप्पणियॉ के पैरा 3(vii) के अन्तर्गत)

(क) 8658 उचन्त लेखे (₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2017-18		2018-19		2019-20	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101- वेतन एव लेखा कार्यालय उचन्त	14.42	0.01	20.40	0.04	26.69	0.01
निवल	**14.41** (नामे)		**20.36** (नामे)		**26.68** (नामे)	
102-उचंत लेखा (सिविल)	14.66	0.30	14.89	..	109.94	..
निवल	**14.36**(नामे)		**14.89** (नामे)		**109.94** (नामे)	
107- नकद समाशोधन उचन्त लेखा	121.95	68.33	53.07	..	52.88	..
निवल	**53.62**(नामे)		**53.07** (नामे)		**52.88**(नामे)	
109- रिजर्व बैंक उचन्त- (मुख्यालय)	1.71	0.64	(-)10.56	(-)4.65	0.24	0.97
निवल	**1.07**(नामे)		**5.91** (जमा)		**0.73** (जमा)	
110- रिजर्व बैंक उचन्त - केन्द्रीय लेखा कार्यालय	4.33	..	4.67	..	11.58	..
निवल	**4.33**(नामे)		**4.67**(नामे)		**11.58** (नामे)	
112-स्त्रोत पर कर कटौती उचंत	..	77.08	..	29.85	..	129.85
निवल	**77.08**(जमा)		**29.85**(जमा)		**129.85**(जमा)	

(ख) 8782-एक ही लेखा कार्यालय को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण और समायोजन

लघु शीर्ष	2017-18		2018-19		2019-20	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
102-लोक निर्माण प्रेषण	54.87	231.32	90.37	431.89	30.78	333.64
निवल	**176.45**(जमा)		**341.52**(जमा)		**302.86** (जमा)	
103-वन प्रेषण	..	3.46	..	1.76	..	3.55
निवल	**3.46** (जमा)		**1.76**(जमा)		**3.55** (जमा)	

अनुबंध- ङ

मुख्य लेखा शीर्ष जिनमें मार्च 2020 में,वर्ष 2019-20(प्रा.) के कुल व्यय का 40 *प्रतिशत* और अंतिम तिमाही में 60 *प्रतिशत* से अधिक व्यय किया गया

(लेखाओं पर टिप्पणियॉ के पैरा 3(xi) में संर्दभित)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्यशीर्ष	विवरण	वर्ष 2019-20 (प्रा.) के दौरान कुल व्यय	मार्च 2020 के दौरान व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय	वर्ष 2019-20 (प्रा.) के कुल व्यय का प्रतिशत	
						मार्च	अंतिम तिमाही
1	2047	अन्य राज्य वित्तीय सेवाएं	2.69	1.19	..	44	..
2	2075	विविध सामान्य सेवाएं	148.92	145.06	148.63	97	100
3	2245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	341.43	..	215.10	..	63
4	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	8.71	3.79	..	44	..
5	2425	सहकारिता	284.72	..	173.00	..	61
6	4058	लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूजीगत परिव्यय	1.50	..	0.95	..	63
7	4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	67.25	56.46	64.89	84	96
8	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	28.59	..	18.96	..	66
9	5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	11.50	..	8.30	..	72

अनुबंध- च

मुख्य लेखा शीर्ष-3435 के अंतर्गत व्यय

(लेखाओं पर टिप्पणियॉ के पैरा 3(xv) में संदर्भित)

मुख्य लेखा शीर्ष-3435-पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण के अंतर्गत व्यय राज्य सरकार से प्राप्त वाउचरों/ सूचना के आधार पर संकलित

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	उद्देश्य शीर्ष	2017-18		2018-19		2019-20	
						बजट (मूल+पूरक)	व्यय	बजट (मूल+पूरक)	व्यय	बजट (मूल+पूरक)	व्यय
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	03-पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिकी पुनरूद्भवन	001-निर्देशन तथा प्रशासन	96-कार्य प्रगति पर किएगए परिव्यय (पी.एल.ओ.) पर्यावरण (ई.एन.वी.-पी.एल.ओ.-आर.इ.वी.)	51-एन.ए		..	..	..	..	..	..
			97-हरियाणा प्रशासनिक सुधार प्राधिकरण की सिफारिशों के कार्यान्वयन (एच.जी.आर.ए)	51-एन.ए		..	..	0.01	..	0.01	..
			99-संदर्भित प्रयोगशाला समेत निर्देशन तथा प्रशासन	98-स्थापना खर्च		1.51	1.51	2.03	1.66	2.45	1.90
				99-सूचना प्रोद्योगिकी		..	..	0.02	..	0.02	..
		800-अन्य व्यय	84-वातावरण परिवर्तन प्रभाव	51-एन.ए		0.06	0.06	0.25	0.06	0.25	0.07
			88-राज्य वार्तावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण	98-स्थापना खर्च		0.95	0.95	1.38	0.92	1.35	1.15
			89-गुडगांवा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	51-एन.ए		0.01	0.01	5.00	0.01	5.00	5.00
			92-ईको क्लब की स्थापना	51-एन.ए		1.00	1.00	1.50	0.32	1.50	1.50
			95-पर्यावरण प्रशिक्षण शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम	51-एन.ए		0.37	0.37	0.90	0.10	0.50	0.11
			97-विशेष पर्यावरणीय अदालतों की स्थापना	98-स्थापना खर्च		1.67	1.67	2.01	1.88	2.01	1.88
कुल						**5.57**	**5.57**	**13.10**	**4.95**	**13.09**	**11.61**

© भारतकेनियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2020

www.cag.gov.in

www.aghry.gov.in